राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08| चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का सातवां दिवस |संख्या: 04

बुधवार,

01 मार्च 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

अनुरोध एवं मांग

एसबीसी आरक्षण की मांग

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल तो चलने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, प्रश्नकाल का ही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न था आज।

श्री अध्यक्ष: ये चैम्बर में बात कर लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): स्थगित किया है।

श्री अध्यक्ष: चैम्बर में बात कर लेंगे। यहां नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दो बार लगातार स्थगित हो गया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजाना के रोजाना प्रश्न स्थगित हो रहे हैं। जब सूची में आ गये, इस लाल पन्ने में आपने छपवा दिया, उसके बाद में ऐसी क्या आफत आ गयी कि उनको स्थगित किया जा रहा है? क्या सदन में ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती जन हित के मुद्दों पर, सरकार? आदेश फर्मायें।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, प्रश्न के स्थगित होने के लिए कई तरह के...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सचिवालय पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नहीं की जा सकती। यह हमारे नियमों में है। विधान सभा के सचिवालय पर कोई भी माननीय सदस्य कोई टीका-टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर किसी को एतराज हो तो आप चैम्बर में मिल सकते हैं। वहां कह सकते हैं, यहां नहीं कह सकते। यह किताब यह कहती है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सचिवालय ने नहीं किये हैं। सचिवालय क्यों करेगा? सचिवालय क्यों करेगा स्थगित? स्थगित सरकार करती है। सरकार करती है स्थगित। जब आपने छपवा दिये, इस पन्ने में नाम आ गये, उसके बाद में परसों 27 तारीख को भी स्थगित कर दिया, आज भी स्थगित कर दिया, तो क्या सरकार सारे मुद्दों से ही बचना चाह रही है? चर्चा नहीं करना चाह रही है क्या?

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): ...(व्यवधान) आप बैठिये। आसन पैरों पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किताब यह कहती है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप विराजो न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) यह किताब आपके लिए नहीं बनी हुई है? यह किताब हमारे पास भी है। इस किताब में है कि कोई उचित रीजन होना चाहिए। क्या रीजन है? आप एमएलए क्वार्टस को बेच रहे हो, आप रिसर्जेंट राजस्थान में कोई ला नहीं पाये। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आसन पांवों पर है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कीजिये। देखिये, प्रश्न स्थगित होता है उसके कुछ कारण होते हैं, आप आकर चैम्बर में बात कर लीजिये। अगर वो कारण ठीक नहीं हुए तो मैं आपको कन्विंस कर दूंगा। आखिर यही है व्यवस्था। यही मैं घनश्याम जी के लिए निवेदन करता हूं। प्रश्नकाल।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाह रहा हूं, आज पूरे राजस्थान में एसबीसी वाले मामले में मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि साढ़े चार हजार ...(व्यवधान) इसी सदन में, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई, ये कौनसे नियमों में बोल रहे हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है। जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है तो आप इनकी बात तो सुनिये, उसके बाद में जो होगा सो हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्नकाल चलने दीजिये।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका उद्देश्य रहता है कि अख़बार में छपना है इन्हें। (व्यवधान) विषय पर चर्चा करने के लिए नहीं आये आप यहां पर। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में एसबीसी को आरक्षण दिया गया था और ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप नियमों में आएं न। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल पहले आ चुका है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): प्रश्नकाल में जो विषय प्रश्न का है उस पर चर्चा कीजिये आप। यह अभी विषय नहीं है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी मंशा सिर्फ अख़बार में छपने की है ...(व्यवधान) आरक्षण को लेकर गम्भीर नहीं हैं बिलकुल भी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) लोग नौकरी लग गये ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप सुनिये कि क्या कार्यवाही सरकार कर रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नियमों के तहत आकर बहस करिये। (व्यवधान) सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): यह प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल में बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे परमीशन दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने परमीशन दी है क्या, माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): आपने समय दिया है क्या, माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय ने कोई परमीशन नहीं दी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप धमका रहे हैं अध्यक्ष महोदय को। अध्यक्ष महोदय को धमका नहीं सकते आप। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जो आपकी +++ आपने कई दिन से मचा रखी है सदन में, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह +++ शब्द को एक्सपंज कराइये। एक्सपंज कराइये। मैं और +++। मेरे जैसे सज्जन आदमी पर इन्होंने आरोप लगाया है, एक्सपंज कराइये इसको, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द ड्रोप किया जाए। +++ शब्द को ड्रोप किया जाए। ड्रोप कर दिया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं अपने शब्द वापस खुद ही ले लेता हूं। कृपया आप, राठौड़ी तो अनपार्लियामेंट्री नहीं है? राठौड़ी तो अनपार्लियामेंट्री नहीं है?

श्री अध्यक्ष: राठौड़ी तो नहीं है। माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, आप प्रश्नकाल चलने दीजिये और उसके बाद प्रश्नकाल के बाद तुरन्त मैं, आप कहेंगे तो ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अलाउ किया, मुझे अपनी बात तो कह लेने दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कहने दो, साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने परमीशन दी है, तभी मैं आपकी आज्ञा से कह रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है राजस्थान में...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, चमचागीरी की है ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): साढ़े चार हजार बच्चे कहीं भूख हड़ताल पर, कहीं कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों नहीं आप सरकार को कहें, इस मामले में आज ही वक्तव्य दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप नियमों में आकर उठाओ न। नियमों में आकर उठाओ, जवाब दे देंगे हम। नियमों में आकर उठाओ। ये क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहले भी आ चुका है। यह प्रकरण पहले भी आ चुका है। सरकार इस पर कह चुकी है। नियमों में नोटिस दें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों में लगने नहीं देते, नियमों में आने नहीं देते, क्या किया जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय? आप ही संरक्षण करें। (व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हर चीज का नियम है, नियमों के अन्तर्गत बात करिये न।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ...(व्यवधान) आप सरकार से वक्तव्य दिलवा दीजिये। (व्यवधान) सारी स्थिति साफ हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हर चीज का प्रावधान है, आप नियमों में आकर इस पर चर्चा कीजिये। सदन के सामने रखिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों में लगने नहीं देते।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): श्री घनश्याम तिवाड़ी नियमों में आये थे और आपने स्थगित कर दिया इनका प्रश्न। घनश्याम जी तिवाड़ी नियमों में आये थे, प्रश्न लग गया और आपने स्थगित करा दिया। नियमों की धज्जियां आपने उड़ायीं। कहां गये आपके नियम?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इम्पोर्टेंट इश्यू है ...(व्यवधान) आप सरकार से कहें, इस पर स्टेटमेंट दे दे। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): घनश्याम जी तिवाड़ी के प्रश्न को स्थगित कर दिया, आपके नियम कहां गये? आपने नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। आपके पास नियम हैं ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): प्रश्न संख्या 56

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप पहले सरकार से जवाब दिलाइये। (व्यवधान) एसबीसी के लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसके लिए जवाब दिलवाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मंत्रीजी जवाब देंगे। आप नोटिस दीजिये, हम जवाब देंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हर बार नियमों की बात करते हैं, घनश्याम जी तिवाड़ी के प्रश्न को स्थगित कर दिया, कौनसा नियम है? (व्यवधान) नियमों की बात करते हैं? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जिन लोगों का चयन हो गया, उन लोगों को नौकरी देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है सरकार? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभी जानते हैं कि कोई भी प्रश्न लिस्ट होता है तो विधान सभा का सचिवालय उसका उत्तर मंगवाता है। उत्तर आने में यदि विलम्ब होता है तो प्रश्न स्थगित होता है। यह कोई नहीं बात नहीं है। इसके लिए विधान सभा में ...(व्यवधान) इसको नहीं उठाया जा सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नोटिस दो आप। नोटिस दीजिये न आप। (व्यवधान) यह राजस्थान की विधान सभा है, सब्जी मंडी नहीं है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, नियमों में आएं न ये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह सर्वमान्य सिद्धांत है, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी जानते हैं परन्तु जानबूझ कर हो-हल्ला कर रहे हैं। सदन का समय बिगाड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया प्रश्नकाल चलने दें।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ... (व्यवधान) आप उस दिन शांत बैठे रहे ...(व्यवधान) पर्सनल मुद्दों के ऊपर हंगामा कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्नकाल चलने देना चाहते हैं कि नहीं? प्रश्नकाल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्रश्नकाल चलने दें।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): ये झूठी वाहवाही लूटना चाह रहे हैं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अख़बार में अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए केवल हंगामा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नियमों में आकर नोटिस दें और आप समय तय कर दें। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये थोथी वाहवाही लेना चाहते हैं। ये बहस नहीं करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के बाद इस विषय पर चर्चा करने के लिए समय तय किया जाए नियमानुसार लेकिन इस प्रश्नकाल के महत्व को ये लोग नहीं समझ रहे हैं। इनका उद्देश्य एक ही है, डेली अख़बार में किस तरीके से छपना है। इनके आका इनको यह समझा कर भेजते हैं कि अख़बार में कांग्रेस का नाम किस तरीके से छपे, उस तरह से करें खाली। इसके अलावा इनका उद्देश्य कुछ भी नहीं है।

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) कभी कोई प्रश्न तो लगाते नहीं हैं ...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों ग्रुप के आका यह समझा कर भेजते हैं कि हमें अख़बार में छपना है। इनका उद्देश्य सिर्फ अख़बार में छपने का है माननीय अध्यक्ष महोदय, और कोई इनका उद्देश्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जब यह सदन एसबीसी का विधेयक पारित कर रहा था, उस दिन भी आप लोग हंगामा कर रहे थे और उस विषय पर सकारात्मक बहस के लिए आप तैयार नहीं थे।

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): ...(व्यवधान) बिना प्रश्न के बैठे हैं ये। इनका कभी कोई प्रश्न नहीं लगता।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई भी प्रश्न लिस्ट होता है तो विधान सभा सचिवालय उसका उत्तर मंगवाता है और उसमें देरी होने पर प्रश्न स्थगित होता है। यह कोई नयी बात नहीं है।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ...(व्यवधान) केवल हंगामा करके सदन को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.09 बजे 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(12.00 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

भाषण के अधिकार का दुरुपयोग करने पर नेता प्रतिपक्ष क्षमा मांगें

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियमों के नियम 272 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, 272 (8) में यह लिखा है कि कोई भी माननीय सदस्य अपने भाषण के अधिकार का उपयोग सदन के कार्य में बाधा डालने के प्रयोजन के लिये नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, यह पालनीय नियम है जो आपने हमें दिया है। इसके बाद नियम 221 में यह साफ कहा गया है कि ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं चलायी जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है। आज प्रतिपक्ष के नेता ने जिस प्रकार की गैर-जिम्मेदाराना कार्यवाही की है और जिस प्रकार उन्होंने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली है अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, यह राजस्थान की विधान सभा के संसदीय इतिहास में सबसे बुरी बात है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनको क्षमा मांगनी चाहिये। मेरी मांग है, या तो इनको फटकार लगाओ या इनको क्षमा मांगनी चाहिये। इनको क्षमा मांगनी पडेगी। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) साढ़े चार हजार लड़कों के साथ अन्याय किया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) एसबीसी के लोग पात्र घोषित होंगे ...(व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ...(व्यवधान) प्रश्नकाल से महत्वपूर्ण कोई विषय सदन में नहीं हो सकता। केवल बाधा डालने के उद्देश्य से बिना किसी नियमों के ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अपनी कमियों को छिपाने के लिये सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) आप चर्चा नहीं करना चाहते।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ...(व्यवधान) आप नियमों में आओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) शोकाभिव्यक्ति...(व्यवधान) शोकाभिव्यक्ति में कृपया शांत रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप इनको फटकार लगाएं। प्रतिपक्ष के माननीय नेता का जो रवैया है, वह निंदनीय है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) एसबीसी के आरक्षण के बारे में बात नहीं करना चाहते। (व्यवधान) आप सदन को गुमराह करना चाह रहे हो। (व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ...(व्यवधान) प्रश्नकाल जैसा महत्वपूर्ण विषय चल रहा था, उस समय नेता प्रतिपक्ष बिना किसी नियमों के ...(व्यवधान) केवल हंगामा करने के लिये विषय को उठा रहे थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) शोकाभिव्यक्ति। मैं शोकाभिव्यक्ति ले रहा हूं ...(व्यवधान) मैं शोकाभिव्यक्ति ले रहा हूं ...(व्यवधान) कृपया शोकाभिव्यक्ति में कोई दखल नहीं डाले तो उचित रहेगा।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

पी. शिवशंकर, श्री, पूर्व राज्यपाल (सिक्किम एवं केरल)

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं सिक्किम एवं केरल के पूर्व राज्यपाल श्री पी. शिवशंकर के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

सिक्किम एवं केरल के पूर्व राज्यपाल श्री पी. शिवशंकर का जन्म 10

(श्री अध्यक्ष)

अगस्त, 1929 को हैदराबाद के मामिदिपल्ली गांव में हुआ। आपने बी.ए. (आनर्स) तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री पी. शिवशंकर छठी, सातवीं एवं बारहवीं लोक सभा में सांसद रहे। आप लोक सभा की विशेषाधिकार समिति, कार्य सलाहकार समिति एवं सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। आप विशेषाधिकार समिति के सभापति भी रहे। श्री पी. शिवशंकर वर्ष 1985 से 1987 तथा 1987 से 1993 तक राज्य सभा के सांसद भी रहे। आप केन्द्र सरकार में विधि एवं न्याय, विदेश मामलात, ऊर्जा, वाणिज्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सहित अनेक मंत्रालयों के मंत्री रहे। आप वर्ष 1988 से 1989 तक राज्य सभा में सदन के नेता तथा वर्ष 1989 से 1991 तक राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव वाले श्री पी. शिवशंकर वर्ष 1994 से 1995 तक सिक्किम तथा वर्ष 1995 से 1996 तक केरल के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे श्री पी. शिवशंकर वर्ष 1974-75 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान देने के साथ आप अनेक सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थानों से सम्बद्ध रहे। आपने अनेक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री शिवशंकर के अनेक आलेख तथा शोध पत्र विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए।

श्री पी. शिवशंकर का लम्बी बीमारी के बाद दिनांक 27 फरवरी, 2017 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्री पी. शिवशंकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

व्यवस्था का प्रश्न

भाषण के अधिकार का दुरुपयोग करने पर नेता प्रतिपक्ष माफी मांगें

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के लिये जो पालनीय नियम हैं, सदन में इस प्रकार की पालना करें ...(व्यवधान) नियम 269 भी यह कहता है कि कोई भी माननीय सदस्य कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेगा, चीत्कार नहीं करेगा या बाधा नहीं डालेगा और जब सदन में भाषण दिये जा रहे हों तो साथ-साथ उनकी टीका नहीं करेगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) कि सदन नहीं चले ...(व्यवधान) इनको उत्तर नहीं देने पड़ें ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमारा आरोप है कि सत्ता पक्ष खुद माहौल खराब करके इस सदन में जन हित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करने देना चाहता ...(व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ...(व्यवधान) केवल हंगामा खड़ा करना, केवल हंगामा खड़ा करना ...(व्यवधान) इसी सदन में किसी भी मुद्दे को लेकर ...(व्यवधान) यह किसी नियम के तहत आ जाए। (व्यवधान) यही आरक्षण का विषय था, जिस विधेयक को लेकर ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह मिलीभगत है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) के मामले में पूर्व माननीय अध्यक्षों द्वारा निर्णय लिये गये हैं, उनके सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) जन हित के मुद्दे पर जवाब नहीं देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) पहले भी कई बार प्रश्न स्थगित हुए हैं। इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्षों द्वारा दिये गये निर्णयों के बारे में ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन को गुमराह करना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कांग्रेस की कार्यवाही चल रही है...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एस.बी.सी. के मुद्दे पर जवाब दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये लिखा है। मैं फिर पढ़कर सुनाता हूं। (व्यवधान)।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वयं संसदीय कार्य मंत्री सदन को नहीं चलाना चाहते हैं। इन्होंने रणनीति तैयार की है कि विपक्ष जन हित के मुद्दों और इस सरकार के घोटालों को नहीं उठाए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): सरकार को एस.बी.सी. के आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: जिस समय एस.बी.सी. का विधेयक पारित हो रहा था (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमें आपके संरक्षण की आवश्यकता है। सदन चल रहा है। हम चाहते हैं कि सदन चले। सदन के अन्दर गैर-जिम्मेदाराना तरीके से सब शुभ कार्यों को बाधित करने का काम अगर जिम्मेदार लोग करेंगे तो मैं समझता हूं इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप एस.बी.सी. के आरक्षण पर जवाब नहीं देना चाहते। (व्यवधान) आप इनके घोटालों को दबाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय एस.बी.सी. आयोग का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। (भारी व्यवधान एवं शोरगुल) इनको कहिये न अध्यक्ष महोदय।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, पूर्व अध्यक्षों द्वारा लिए गए निर्णयों के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वो माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी ने पहले भी उठाया था। अध्यक्ष महोदय, पहले भी प्रद्युम्न सिंह जी और रतिराम यादव, सदस्य राजस्थान विधान सभा में स्थगन के सम्बन्ध में आरोप लगाने पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई, उसमें कहा गया। सदन की जानकारी में है। मैं यह कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): पर्ची पर नंबर आता नहीं है। (व्यवधान) इनको सि हंगामा करने के अलावा और कोई काम नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदन को जवाब दो... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): मैं कहना चाहता हूं कि इसमें माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति है तो वे आपसे बोलें। प्रांगण में प्रश्न को नहीं उठाएं। पहले भी इसको उठाया है। आसन से व्यवस्था थी। 'इस बारे में आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस सम्बन्ध में बात कर लें। यह मेरे सचिवालय के सम्बन्ध में प्रश्न है, इस पर कोई प्रश्न करने की मैं अनुमति नहीं देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रद्युम्न सिंह जी के द्वारा उठाए गए प्रश्न पर पहले व्यवस्था दी थी और फिर से ये यही व्यवस्था उठा रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है। (व्यवधान) आपको यह नहीं उठाना चाहिए। आपने ही पहले उठाया था और अध्यक्ष जी की यह व्यवस्था है। यह आपको नहीं उठाना चाहिए था। आप तीसरी बार यह विषय उठा रहे हैं, जो ठीक नहीं है और सचिवालय के सम्बन्ध में आप यह प्रश्न यहां सदन में नहीं उठा सकते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): समझते ही नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, आप प्रतिपक्ष के नेता को प्रताड़ित करिए। ये सदन की कार्यवाही में जान बूझकर बाधा डालना चाहते हैं। ये ऐसे विषय हैं... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कर दो। आपके पास में सत्ता है, आप बाहर निकाल सकते हो, लेकिन जनता की आवाज को नहीं दबा सकते।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक कल 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.15 बजे गुरुवार, दिनांक 02 मार्च 2017 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोतर

नरेगा योजना में विद्यालय भवनों की चारदीवारी का निर्माण

56. **सुश्री कीर्तिकुमारी** (माण्डलगढ़): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नरेगा योजना में पूर्व में विद्यालय भवन की चारदीवारी का निर्माण कार्य करवाना अनुमोदित कार्यों में सम्मिलित था? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य अब अनुमोदित कार्यों की सूची में से हटा दिया गया है?

(2) क्या सरकार पुनः उक्त कार्य को नरेगा योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विद्यालय भवन की चारदीवारी का निर्माण महात्मा गांधी नरेगा योजना के अनुमोदित कार्यों में सम्मिलित नहीं था।

(2) विद्यालय भवन की चारदीवारी का निर्माण महात्मा गांधी नरेगा योजना के अनुमोदित कार्यों में सम्मिलित ही नहीं था।

प्रदेश के चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की योजना

57. **श्री भंवरसिंह** (कोलायत): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित सभी श्रेणी के चिकित्सालयों में स्वीकृत नर्सिंग, पैरामेडिकल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व चिकित्सकों के रिक्त पदों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सिंग स्टाफ व चिकित्सकों के अभाव में बंद पड़े उप स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ व चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित समस्त चिकित्सा संस्थानों में राजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-ब एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या उप स्वास्थ्य केन्द्र जिन पर चिकित्सक या नर्सिंग स्टाफ पदस्थापित नहीं है वहां नजदीकी चिकित्सा संस्थान से चिकित्सक या नर्सिंग स्टाफ लगाकर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

(3) जी हां। चिकित्सकों के पदोन्नति के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/सर्टिफिकेट कोर्स फोर स्पेशियलाइजेशन कोर्स पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथा सम्भव शीघ्र लगाने की प्रक्रिया जारी है।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु 684 चिकित्सा अधिकारियों के पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2014 में चिकित्सा शिक्षकों के 753 पदों को भरने हेतु राज्य लोक सेवा आयोग को अर्थना भिजवाई गई थी, जिसके तहत 210 पदों पर नियुक्ति दे दी गई है तथा शेष पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है।

चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग, लैब टैक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, दंत टैक्नीशियन एवं नेत्र सहायक के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है तथा भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

उक्त के अतिरिक्त शेष पदों को विभागीय स्तर पर की जाने वाली पदोन्नति के समय भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश के महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

58. **श्री कैलाश चौधरी** (बायतू): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कैलाश चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों व राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में व्याख्याताओं और प्राचार्यों के अधिकांश पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार प्रदेश के महाविद्यालयों में छात्रहित को ध्यान में रखते हुए रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। व्याख्याताओं के 1339 रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाई गई थी, जिसके क्रम में आयोग द्वारा 1248 रिक्त पदों हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर प्रदेश के महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को नियमानुसार भरा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त 194 व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु नवीन अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को नवम्बर, 2016 में प्रेषित की गई है (परिशिष्ट-1)।

प्राचार्यो के रिक्त पदों को आगामी पदोन्नति के द्वारा भरा जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि सत्र 2016-17 की डी.पी.सी. हो चुकी है। 16 प्राचार्यों के पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-59

(स्थगित)

जिला कारागृह गंगापुर सिटी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की योजना

60. श्री मान सिंह (गंगापुर): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गंगापुर सिटी स्थित जिला कारागृह को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो कब?

(श्री मानसिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि जहां वर्तमान कारागृह संचालित है, वह जमीन स्थानीय नगर परिषद को हस्तांतरित की जायेगी तथा इसकी एवज में नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा जेल परिसर बनाकर गृह विभाग को किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि गृह विभाग एवं नगर परिषद की पूर्ण सहमति के बाद भी राजस्व विभाग द्वारा इस हेतु प्रस्तावित जमीन आबंटन नहीं होने के कारण उक्त कारागृह का हस्तांतरण नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा भूमि आबंटन की कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य की ऐसी जेलें जो शहरों के बीच आ गई हैं और जहां सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित माना जाये, उन्हें स्थानान्तरित करने की बजट घोषणा (2014-15) की गई थी। ऐसी जेलों में गंगापुर सिटी की उप जेल सम्मिलित है।

(2) नगर परिषद गंगापुर सिटी के माध्यम से नवीन जेल परिसर बनाने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) प्रस्तावित भूमि चरागाह होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा आबंटन नहीं किया गया है। अतः गंगापुर सिटी में नवीन जेल भवन हेतु अन्य उपयुक्त भूमि का चयन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बाड़मेर जिले में नकली शराब बनाने की फैक्ट्रियों पर कार्यवाही

61. श्री तरुण राय कागा (चौहटन): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार को प्रति वर्ष कितनी आय शराब बिक्री से होती है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अवैध और नकली शराब को रोकने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जाती है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में नकली शराब पीने से हुई मौतों पर कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री तरुण राय कागा)

(4) उक्त अवधि में बाड़मेर जिले में कितनी नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गईं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शराब बिक्री से राज्य सरकार को वर्ष 2015-16 में 6712.94 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2015-16 में प्राप्त आय का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) अवैध और नकली शराब को रोकने हेतु आबकारी विभाग द्वारा रेड, गश्त, धावों के साथ प्रतिमाह 10 से 12 दिन विशेष आबकारी धावों का आयोजन कर लगातार सघन चैकिंग की जा रही है।

आबकारी विभाग द्वारा माह अप्रैल, 2016 से जनवरी, 2017 तक राज्य में कुल 13089 आबकारी अभियोगों का पंजीयन हुआ, जिनमें कुल 8624 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अवैध शराब एवं वाहन जब्त किये गये हैं।

पुलिस विभाग द्वारा माह अप्रैल, 2016 से जनवरी, 2017 तक राज्य में कुल 13766 अभियोगों का पंजीयन हुआ, जिनमें कुल 13705 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अवैध शराब जब्त की गयी।

(3) प्रदेश में विगत पांच वर्षो में घटित शराब दुखान्तिकाओं के सम्बन्ध में निम्न 23 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी / प्रक्रियाधीन है-

1. श्री जय नारायण आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल
2. श्री लालाराम जैलिया, प्रहराधिकारी
   आबकारी निरोधक दल
3. श्री अजय जैन, आबकारी निरीक्षक
4 श्री सोहन लाल, हैड कान्स्टेबल
5. श्री मनीष, कान्स्टेबल
6. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, प्रहराधिकारी
7. श्री विजयपाल, जमादार
8. श्री नरेन्द्र कुमावत, सहायक आबकारी अधिकारी
9. श्री जगदीश प्रसाद, सिपाही

(आबकारी मंत्री)

10. श्री महेन्द्र सिंह, सिपाही

11. श्री सुमनपाल सिंह, सिपाही

12. श्री रतिपाल सिंह, सिपाही

13. श्री जगपाल सिंह, सिपाही

14. श्री नाहर सिंह, सिपाही

15. श्री सुरेश चन्द्र, सिपाही

16. श्री हरिश चन्द्र, सिपाही

17. श्री दईदान सिंह भाटी, सहायक आबकारी अधिकारी

18. श्री राकेश शर्मा, सहायक आबकारी अधिकारी

19. श्री भाकर सिंह, जमादार

20. श्री कमल सिंह, जमादार

21. श्री भियांराम, सिपाही

22. श्री भल्ला राम, सिपाही

23. श्री भोम सिंह, सिपाही

(4) बाड़मेर जिले में नकली शराब की एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी। आबकारी विभाग द्वारा जैसलमेर में 09 एवं बाड़मेर में 35 अभियोग दर्ज कर 29 मुल्जिम गिरफ्तार किये गये। पुलिस विभाग द्वारा जैसलमेर जिले में 1 अभियोग एवं बाड़मेर जिले में 02 अभियोग दर्ज कर 27 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में पात्र बेरोजगारों को बैंकों से राशि का भुगतान

62. श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए सरकार द्वारा स्वीकृतियां प्रदान की जाती हैं? क्या बैंकों द्वारा जारी उक्त स्वीकृतियों में धनराशि का भुगतान पात्र व्यक्ति को नहीं किया जाता है?

(2) क्या सरकार सभी बैंकों को निर्देशित कर पात्र युवा उद्यमियों व श्रमिकों को राशि का भुगतान करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। बेरोजगारों को उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभाग द्वारा दो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम-भारत सरकार की योजना

भामाशाह रोजगार सृजन योजना-राज्य सरकार की योजना

उक्त दोनों योजनाओं में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा आवेदकों का चयन कर आवेदन बैंकों को प्रायोजित किये जाते हैं। तत्पश्चात् बैंकों द्वारा परियोजना की व्यवहार्यता एवं बैंकिंग मापदण्ड सुनिश्चित होने पर आवेदकों को ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया जाता है।

(2) बैंकों द्वारा उक्त दो योजनाओं में स्वीकृति जारी करने एवं स्वीकृत प्रकरणों में ऋण राशि का भुगतान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निरन्तर बैंक प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है।

अलवर के पटरीपार क्षेत्र में बालिका विद्यालय की स्थापना

63. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर के पटरीपार क्षेत्र में राजकीय स्तर का बालिका माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की बालिकाओं के अध्ययन हेतु क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अलवर शहर के पटरी पार क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्टेशन अलवर सहशिक्षा का विद्यालय संचालित है जिसमें बालक व बालिका दोनों के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है किन्तु बालिका माध्यमिक विद्यालय अथवा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है। इस क्षेत्र में उच्च माध्यमिक स्तर के अध्ययन की सुविधा निजी क्षेत्र के 14 उच्च माध्यमिक विद्यालय भी हैं जहां बालिकाएं अध्ययनरत हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्ष 2015-16 में बजट घोषणा संख्या 97 के अनुसार 657 नयी ग्राम पंचायतों में, जिनमें राजकीय/गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं हैं, उन ग्राम पंचायत में चरणबद्ध तरीके से प्राथमिक से उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तथा माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसकी पालना में 240 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जा चुका है। शहरी क्षेत्र में उच्च माध्यमिक स्तर की अध्ययन सुविधा उपलब्ध होने के कारण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किए जाने का प्रावधान नहीं है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत बाटडानाऊ (लक्ष्मणगढ़) में आम रास्ते का नक्शे में अंकन

64. श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा' (भरतपुर): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में अब तक कितनी भूमि की पैमाइश हुई तथा कब-कब एवं किस-किस अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा पैमाइश की गई? नाम एवं पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) लक्ष्मणगढ़ के ग्राम पंचायत बाटडानाऊ में पूर्वी बास में ग्रिड स्टेशन एवं एनएच-65 तक जाने वाले रास्ते किस-किस खसरे से होकर गुजरते हैं? नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त रास्ता प्रथम राजस्व पैमाइश में था, परन्तु दूसरी एवं तीसरी पैमाइश में बन्द दिखाया गया है, जबकि वर्तमान में भी उक्त आम रास्ता चलन में है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त बंद रास्ते को पुन: नक्शे में अंकित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अब उक्त रास्ते को नक्शे में पुन: अंकित कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर जिले की तहसील लक्ष्मणगढ़ के समस्त ग्रामों की भू-प्रबंध

(राजस्व राज्य मंत्री)

संक्रियाएं अधिसूचना सं. प. 13(2)राज-1/2004 दिनांक 03.02.2005 से तरमीम/सर्वे कार्य प्रारम्भ किया गया था। अधिसूचना एवं तरमीम/सर्वे कार्य हेतु लगाये गये अधिकारी/कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) लक्ष्मणगढ की ग्राम पंचायत बाटड़ानाऊ में अवस्थित पूर्वीबास ख. नं. 322 गै. मु. आबादी, ग्रिड स्टेशन एवं नेशनल हाईवे-65, ख.नं. 10 चरागाह में अवस्थित है। पूर्वीबास ख.नं. 322 गै.मु. आबादी से प्रारम्भ होकर क्रमशः खसरा नम्बर 111/2/16 गै.मु. चरागाह, 150 बंजड़ कदीम, 152 गै.मु. आबादी, 151 गै.मु. खड्डा 130 गै.मु. आबादी, 127 गै.मु. रास्ता, 129, 34, 33, 15, 14 कृषि भूमि (निजी खातेदारी) एवं ख. नं. 10 में ग्रिड स्टेशन के पास से होते हुए नेशनल हाईवे सं. 65 तक रास्ता गुजरता है।

तहसील लक्ष्मणगढ़ के नवीन भू-प्रबन्ध के बाद जमाबंदी के मुताबिक पूर्वीबास ख.नं. 360/537 के समीप स्थित ख.नं. 329 कृषि भूमि, 285 गै.मु. सड़क, 286 सिवायचक, 276 गै.मु. खड्डा 86 गै.मु. आबादी, 93 गै.मु. सड़क, 95 गै.मु. सड़क, 22 गै.मु. सड़क, 21 गै.मु. सड़क, 16 गै.मु. सड़क एवं 12 गै.मु. सड़क के रूप में दर्ज रिकार्ड है। वर्णित रास्ते / खसरा नम्बरान के पुराने एवं नये नक्शे की प्रतियां परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त रास्ता पूर्व पैमाईश अनुसार पूर्वीबास ख.नं. 322 गै.मु. आबादी से प्रारम्भ होकर क्रमशः ख.नं. 111/2/16 गै.मु. चरागाह, 150 बंजड़ कदीम, 152 गै.मु. आबादी, 151 गै.मु. खड्डा, 130 गै.मु. आबादी, 127 गै.मु. रास्ता, 129, 34, 33, 15, 14 कृषि भूमि (निजी खातेदारी) एवं ख. नं. 10 में ग्रिड स्टेशन के पास से होते हुए नेशनल हाईवे तक रास्ता गुजरता है तथा प्रथम पैमाइश में ख.नं. 127 गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज है एवं रास्ते में पड़ने वाली आबादी भूमियों को छोड़कर शेष खसरा नम्बरान में डोटेड लाइन से नक्शे में अंकित किया हुआ है।

हाल बन्दोबस्त के मुताबिक पूर्वीबास ख.नं. 360/537 के समीप स्थित ख.नं. 329 कृषि भूमि, 285 गै.मु. सड़क, 286 सिवायचक, 276 गै.मु. खड्डा, 86 गै.मु. आबादी, 93 गै.मु. सड़क, 95 गै.मु. सड़क, 22 गै.मु. सड़क, 21 गै.मु. सड़क, 16 गै.मु. सड़क एवं 12 गै.मु. सड़क के रूप में दर्ज रिकार्ड है जो वर्तमान में निर्बाध रूप से चालू/प्रचलन में है।

(4) बिन्दु सं. 2 व 3 अनुसार रास्ता वर्तमान में मौके पर निर्बाध रूप से चालू/प्रचलन में है, जिस पर पुख्ता सडक निर्मित है।

(राजस्व राज्य मंत्री)

(5) वर्णित रास्ता रिकार्ड में पूर्व से अंकित होने से पुनः अंकित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-65

(स्थगित)

तिजारा में नवीन पंचायतों का गठन

66. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा में सरकार द्वारा थडा, ततारपुर, कमालपुर, मीठियावास, जोजाका, मालियरजट्ट, खलीलपुरी, बुहरेडा, सारेकलां, निम्बाहेड़ा व फकरुद्दीनका नवीन ग्राम पंचायतें गठित की गई हैं?

(2) क्या सरकार उक्त नवीन ग्राम पंचायतों में विद्यालयों को समयबद्ध क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों के विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है? यदि हां, तो किन-किन पंचायत मुख्यालयों के विद्यालयों को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की शेष ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर स्थित विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत साहडोद, आलमपुर, साथलका, मिलकपुर गुर्जर और खिजुरीवास जो अब नगर परिषद भिवाडी में शामिल हैं, पर स्थित विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में जारी विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/1480 दिनांक 5 नवम्बर, 2014 की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जिन नवीन ग्राम पंचायतों में राजकीय/निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं हैं, उन ग्राम पंचायतों में स्थित एक विद्यालय को बजट घोषणा सत्र 2015-16 के अनुसार चरणबद्ध ढंग से उच्च माध्यमिक विद्यालय तक क्रमोन्नत किये जाने का प्रावधान किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र तिजारा जिला अलवर की जिन ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित नहीं हैं, उन ग्राम पंचायतों में से ग्राम पंचायत मालियाजट में निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है। शेष ग्राम पंचायत कमालपुर, मीठयावास, बुहरेडा, फकरूदीनका में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक में तथा ग्राम पंचायत जोजाका, खलीलपुरी, सारेकलां, निम्बाहेड़ा एवं गंधोला में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चरणबद्ध रूप से आगामी वर्षो में बजट प्रावधान की उपलब्ध के अनुसार क्रमोन्नत किया जायेगा।

(3) जी नहीं। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों के विद्यालयों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किए जाने का प्रावधान नहीं है। अपितु प्रत्येक ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में जहां गैर राजकीय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित होने पर एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने का लक्ष्य निर्धारित था। जिसकी पालना में 5000 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जा चुका है।

(4) जी नहीं। केवल ग्राम पंचायत मुख्यालयों के विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए जाने का प्रावधान नहीं है।

जिन नवीन ग्राम पंचायतों में राजकीय/निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नही है। उन ग्राम पंचायतों में स्थित एक विद्यालय को बजट घोषणा सत्र 2015-16 के प्रावधान के अनुसार चरणबद्ध ढंग से उच्च माध्यमिक विद्यालय तक क्रमोन्नत किए जाने का प्रावधान किया गया है।

(5) जी नहीं। क्योंकि बजट घोषणा में शहरी क्षेत्र के विद्यालय क्रमोन्नत करने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गई)

प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी

67. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में कुल कितने व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन कर उन्हें भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड दिये जा चुके हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में वर्ष 2016-17 में कुल कितने लाभार्थियों को भामाशाह बीमा योजना का लाभ दिया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना में एक लाख व उससे ऊपर की कैशलेस राशि से उपचार की सुविधा प्रदान की गई है? यदि हां, तो लाभार्थियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) भारत सरकार की ओर से जारी नेशनल हैल्थ प्रोटेक्शन स्कीम (एन.एच.पी.सी.) की योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर उक्त स्कीम को राजस्थान में लागू करना अव्यवहारिक बताया गया है? यदि हां, तो किन कारणों से? केन्द्र सरकार को भेजे गए पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत ना तो कोई रजिस्ट्रेशन किया जाता है तथा ना ही कोई कार्ड जारी करने का प्रावधान है।

(2) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में कुल 7,24,982 लाभार्थियों को लाभ दिया गया। जिलेवार लाभार्थियों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में जिन्हें एक लाख व उससे ऊपर की कैशलेस राशि से उपचार की सुविधा प्रदान की गई है, उनकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) भारत सरकार की ओर से जारी नेशनल हैल्थ प्रोटेक्शन स्कीम (एन.एच.पी.एस.) की योजना की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(5) जी हां। भारत सरकार को भेजे गए पत्र की प्रतिलिपी परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

जमवारामगढ़ में संचालित संस्कृत विद्यालयों का क्रमोन्नयन

68. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में संस्कृत स्कूल कहां-कहां संचालित हैं तथा उनमें वर्तमान में कितने छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित स्कूलों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस स्कूल को कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में संचालित राजकीय संस्कृत विद्यालय एवं उनमें अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) संस्थाओं को क्रमोन्नत करने हेतु जारी नीति के अनुसार निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने/बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-69

(स्थगित)

जयपुर में बाल श्रमिकों से काम कराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

70. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा गत दो वर्षों में कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया? थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यवाही में बच्चों से काम करवाने वाले कितने लोगों के विरुद्ध किस-किस धारा में एफ.आई.आर. दर्ज कर क्या-क्या कार्यवाही की व कितनों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किये गये? थानेवार व प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मुक्त कराये गये बाल श्रमिक किन-किन स्थानों के रहने वाले थे

(श्री अभिषेक मटोरिया)

तथा बच्चों से काम करवाने वाले कितने अभियुक्तों के विरुद्ध मानव तस्करी की धारा 370-ए के तहत मामला दर्ज किया गया? थानेवार व प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा विगत दो वर्षों में 1382 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों की थानेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा विगत दो वर्षों में बच्चों से काम करवाने वाले कुल 374 लोगों के विरुद्ध बाल संरक्षण अधिनियम 2000 व भा.द.स. की विभिन्न धाराओं में 306 प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। जिनमें से 291 प्रकरणों में चालान 12 में एफ.आर. न्यायालय में पेश किये गये व 3 प्रकरण लम्बित हैं। थानेवार व प्रकरणवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा विगत दो वर्षों में मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों के नाम व निवास स्थान की सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है। मानव तस्करी की धारा 370-ए के तहत कुल 24 प्रकरण पंजीबद्ध किये जिनमें 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया इनमें से 23 प्रकरणों में चालान, 1 में एफ.आर. न्यायालय में पेश की गई। थानेवार व प्रकरणवार सूची परिशिष्ट स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-71

(स्थगित)

प्रदेश में अक्षत योजना के तहत चयन के मानदण्ड

72. **श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों के लिए अक्षत योजना प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत किस प्रकार से बेरोजगारों को लाभान्वित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हमीरसिंह भायल)

(2) उक्त योजना में कौन-कौन से बेरोजगार पात्र हैं एवं इसमें चयन की प्रक्रिया क्या है तथा चयन होने के बाद भुगतान किस प्रकार किया जाता है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा बेरोजगारों के लिये दिनांक 1-7-2012 से राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012 (अक्षत योजना) प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत राज्य में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण एवं रोजगार कार्यालय में पंजीकृत पात्र बेरोजगार पुरुष एवं महिला प्रार्थी को 500 रुपये प्रतिमाह तथा विशेष योग्यजन प्रार्थी को 600 रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्ष के लिये उनके एकल नाम वाले बचत बैंक खाते में सीधे ही राशि जमा करवाकर बेरोजगारी भत्ते से लाभांवित किया जा रहा है। योजना का विवरण परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(2) योजना में पात्र बेरोजगारों एवं चयन की प्रक्रिया का विवरण तथा चयन के बाद भुगतान की प्रक्रिया योजना के बिन्दु संख्या 5, 7, 8 एवं 9 में अंकित है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-क के अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित विद्यालयों का क्रमोन्नयन

73. **श्री मानवेन्द्रसिंह** (शिव): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन ग्राम पंचायतों के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत नहीं किया गया, उनके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय गुणावगुण एवं आवश्यकतानुसार कक्षा 10 में नामांकन के आधार पर किए जाते हैं। बजट घोषणा 2015-16 में प्रत्येक ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में

(शिक्षा राज्य मंत्री)

राजकीय/गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं होने पर माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में चरणबद्ध रूप से क्रमोन्नत कर शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है।

(2) बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के क्रम में शेष रही ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर की सुविधा चरणबद्ध रूप से कराई जा रही है। इस क्रम में 114 तथा सत्र 2016-17 में 126 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है।

प्रदेश में भू-अभिलेखों का आधुनिकीकरण

74. **श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के ढाणियों व मजरों में जाने वाले पुश्तैनी व आम रास्तों को कटाण या सरकारी रास्ता घोषित करने के लिये आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेशों के अनुसार जोधपुर जिले में कितने रास्तों का कहां-कहां निस्तारण कर कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण का कार्य आरम्भ किया है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ने भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण के कार्यों को पूरा करने के लिये कोई समय सीमा नियत की है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) गत तीन वर्षों में उक्त योजना के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई व उपयोग में ली गई है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 10.08.16 जारी किया गया है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(राजस्व राज्य मंत्री)

(2) जोधपुर जिले में वर्ष 2016 में आयोजित रास्ता सम्बन्धी अभियान की प्रगति रिपोर्ट संलग्न है। परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य में भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। राजस्व ग्रुप-2 विभाग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प.7 (45)राज/2/2009 दिनांक 07.06.2010 के अनुसार वर्ष 2010-11 से भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया हैं। परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) ई-धरती कार्यक्रम को राज्य में क्रियान्वयन की कार्यवाही की प्रगति एनएलआरएमपी की गाइडलाइन्स के अनुसार बिन्दुवार निम्न प्रकार है:-

I भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण

(क) डाटा एन्ट्री/री-एन्ट्री/डाटा कन्वर्जन

एनआईसी, द्वारा एनएलआरएमपी की गाइडलाइन्स के अनुसार एनआईसी, जयपुर द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है। मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में जिलों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाकर कार्य प्रारम्भ करवाया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है दिनांक 22.02.2017 तक प्रगति की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(ख) खसरा नक्शों का डिजिटाइजेशन:- भीलवाड़ा तथा झालावाड़ जिलों में खसरा नक्शों के डिजिटाइजेशन का कार्य करवाने हेतु वेपकोस लि. को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों हेतु IL&FS Environmental Infrastructure & Services Ltd. 2 Floor, M.M Tower, Plot No.8-9,Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon, HARYANA. को मण्डल के आदेश क्रमांक 2766 दिनांक 25.02.2016 से चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, प्रतापगढ़ कोटा, बांरा बून्दी हेतु WAPCOS Ltd.B-6, Gautam Marg, Shyam Nagar, Jaipur को मण्डल के आदेश क्रमांक 2725 दिनांक 25.02.2016 से है बाड़मेर, जालौर, सिरोही, भरतपुर, धौलपुर, स. माधोपुर, व करौली हेतु Avineon India Private Ltd. 1 st. Floor, Block A, Cyber Gateway Madhapur, Hyderabad को मण्डल के आदेश क्रमांक 2831 दिनांक 25.02.2016 से जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, चूरू, PAN INDIA CONSULTANTS PVT.LTD.105,Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon-122015 HARYANA को आदेश क्रमांक 2872 दिनांक 25.02.2016 से

(राजस्व मंत्री)

अजमेर, नागौर, दौसा, अलवर, जयपुर हेतु ADCC Infocad Limited. Plot.No.10/5 IT Park, Opp. VNIT Campus, Nagpur-440022 को मण्डल के आदेश क्रमांक 2913 दिनांक 25.02.2016 से सीकर व झुंझुनूं हेतु Scanpoint Geomaties Ltd. 12, Abhishree Corporate Park, ISKON-Ambli Road, Ahmedabad, Gujarat-380058 को मण्डल के आदेश क्रमांक 2797 दिनांक 25.02.2016 से कार्यादेश जारी किया जा चुका है। सभी 6 फर्मो द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। डिजिटाइजेशन ऑफ कैडस्ट्रल मैप का कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रगति की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(ग) टैक्सचुअल एवं स्पेशियल डाटा का समाकलन (इन्टीग्रेशन):- एनआईसी, जयपुर द्वारा टैक्सचुअल एवं स्पेशियल डाटा समाकलन का कार्य प्रायोगिक तौर पर टोंक जिले की उनियारा तहसील में किया जा कर शेष तहसीलों में डिजिटाइजेशन आफ कैडस्ट्रल मैप के साथ-साथ करवाया जाना प्रस्तावित है।

(घ) तहसील/उपखण्ड/जिला कम्प्यूटर सेन्टर:- वर्तमान में राज्य में 73 नवसृजित/क्रमोन्नत तहसीलों में से 66 तहसीलों में अपना खाता/ तहसील डाटा सेन्टर स्थापित करने हेतु निक्सी के माध्यम से हार्डवेयर उपलब्ध करवा दिए गए हैं तथा अपना खाता संचालित करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। शेष 7 तहसीलों हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए जा चुके हैं जिनकी आवश्यक स्वीकृति जारी की जानी है। प्रगति की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(ड) स्टेट डाटा सेन्टर:- राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्टेट डेटा सेन्टर की स्थापना की गई है। जिसमें वांछित क्षमता के उपकरण एनआईसी की तकनीकी राय अनुसार विभाग द्वारा क्रय कर स्थापित किए जाना प्रस्तावित है। जिसके प्रस्ताव तैयार कर नोडल अधिकारी महोदय को प्रेषित कर दिए गए हैं।

(च) राजस्व कार्यालयों के मध्य कनेक्टिविटी:- प्रथम चरण के 11 जिलों की तहसीलों की संख्या जिनमें योजनान्तर्गत कनेक्टिविटी करवाई गई - 77, तहसीलों की संख्या जिनमें बजट घोषणा 208 के तहत कनेक्टिविटी करवाई गई -23, कुल 100 तहसीलों एवं राजस्व मण्डल कार्यालय

(राजस्व राज्य मंत्री)

में बीएसएनएल के माध्यम से 31.12.2016 तक 2mbps कनेक्टिविटी तथा बांसवाड़ा, बारां, बीकानेर, चूरू, दौसा व जैसलमेर में कुल 6 तहसीलों में लेन कनेक्टिविटी (100+6) करवाई गई।

पूर्व की 100 तहसीलों एवं मण्डल कार्यालय में 31.12.2016 तक के लिए करवाई गई कनेक्टिविटी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान भू-अभिलेख आधुनिकीकरण सोसाइटी के माध्यम से 31.12.2017 तक बढ़ाई जा चुकी है। प्रगति की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

II माडर्न रिकार्ड रूम:- प्रथम चरण में 4 जिलों की 36 तहसीलों में जिला कलक्टर के माध्यम से आंशिक कार्य किया गया। सभी जिलों की शेष 278 तहसीलों में से 218 (कुल 254 तहसीलें) तहसीलों कार्य हेतु IL&FS TECH. लि. को कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। प्रगति की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

(5) जी हां। भारत सरकार भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा परियोजना को पूरा करने के लिये मार्च 2019 तक की समय सीमा नियत की है। परिशिष्ट-9 पर संलग्न है।

(6) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनान्तर्गत आबंटित की गई एवं उपयोग में ली गई धनराशि का विवरण परिशिष्ट-10 एवं 11 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

वन्य जीव अभयारण्यों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना

75. **श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसे वन्य जीव अभयारण्य व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोतम कुमार)

(3) क्या यह सही है कि सरकार विश्व में उड़न गिलहरी के लिये प्रसिद्ध, नित्यवाहिनी नदी प्रवाह एवं प्राकृतिक सौन्दर्य धारण सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) वन्यजीव अभयारण्य राज्य सरकार की नीति के महत्वपूर्ण अंग हैं। अत: वन व वन्यजीवों से सम्बन्धित विधिक प्रावाधानों के अध्याधीन राज्य के लगभग सभी वन्यजीव अभयारण के कुछ क्षेत्र में ईको-टूरिज्म का विकास किया गया है अथवा पर्यटन की अनुमति दी गई है।

(3) जी हां। सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु वन विभाग से हाल ही में राशि रु. 2.50 करोड़ के विकास प्रस्ताव पर्यटन विभाग में प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विराटनगर में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के तहत स्वीकृत कार्य

76. **डा. फूल चन्द भिण्डा** (विराटनगर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जयपुर जिले में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत कार्य करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में उक्त योजना के अन्तर्गत कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र में जन सहयोग से कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति द्वारा कितनी-कितनी राशि का योगदान किस-किस कार्य के लिये दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(4) क्या सरकार उक्त योजना में सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर जिले में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत करवाये जा रहे हैं। जयपुर जिले में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत कराये गए 3801 कार्य व द्वितीय चरण के अन्तर्गत 3729 कार्य प्रस्तावित प्रगतिरत हैं। कार्यों की सूची क्रमश: परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 431 व द्वितीय चरण के अन्तर्गत 714 कार्य स्वीकृत हुए हैं स्वीकृत कार्यों का विस्तृत विवरण क्रमश: परिशिष्ट-3 व 4 पर संलग्न है।

(3) जी हां। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत जन सहयोग से कार्य करवाये गए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम चरण में झोटवाड़ा ब्लाक में भारतीय सेना के माध्यम से 2 कार्य करवाये गए हैं जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ठ 5 पर संलग्न है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के द्वितीय चरण में कोटपूतली ब्लाक में औद्योगिक इकाई के माध्यम से 11 कार्य एवं भारतीय सेना के माध्यम से 2 कार्य झोटवाड़ा ब्लाक में करवाये जा रहे हैं। कार्य एवं राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(4) जी हां। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान करने हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विभागीय पत्र दिनांक 15.02.2016 द्वारा जिला स्तर पर जिला कलक्टर कार्यालय एवं जिला परिषद पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति कार्यालय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय पर डिस्पले बोर्ड लगाए जाने का प्रावधान किया गया है जिनमें श्रम, सामग्री, मशीन, नकद एवं चैक के रूप में सहयोग प्रदान करने वाले सहयोगकर्ता का विवरण अंकित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय पत्र 767-924 दिनांक 13.04.2016 द्वारा समस्त

(पंचायती राज मंत्री)

जिला कलक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि जिन संस्थाओं/ट्रस्टों/दानदाताओं द्वारा सराहनीय योगदान दिया गया है, उन्हें जिला स्तर पर चिन्हित कर सम्मानित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.04.2016 से 24.04.2016 तक जल स्वावलम्बन सप्ताह मनाए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न दानदाताओं को अभियान में सहयोग देने हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने हेतु निर्देशित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर्स को जारी दिशा-निर्देशों की प्रतिलिपियां परिशिष्ट-7 पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरसागर में स्वीकृत नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

77. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो स्वीकृति आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त केन्द्रों को खोलने के लिए आवश्यक भूमि आबंटन हेतु सम्बन्धित विभागों को आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है? यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया की अब तक की कार्य प्रगति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त केन्द्रों के संचालन की वर्तमान स्थिति क्या है और इन्हें स्वयं के भवन में कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वीकृत नवीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची, स्वीकृति आदेशों की प्रति सहित परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शोभावतों की ढाणी एवं मसूरिया के भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित हो चुकी है। भवन निर्माण हेतु निविदा जारी की जा चुकी है तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चांदणा

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

भाखर एवं राजीव गांधी कच्ची बस्ती भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन के लिए नगर निगम जोधपुर को आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, जो प्रक्रियाधीन है।

(3) शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शोभावतों की ढाणी, नगर निगम जोधपुर के सामुदायिक भवन में एवं मसूरिया किराये के भवन में संचालित की जा रही है। जिनके भवन हेतु जमीन आबंटन हो गयी है तथा निर्माण हेतु टेण्डर जारी हो चुके हैं। निर्माण पश्चात् इन्हें स्वयं के भवन में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चांदणा भाखर एवं राजीव गांधी कच्ची बस्ती का संचालन किराये के भवन उपलब्ध होने पर प्रारम्भ कर दिया जायेगा। उक्त केन्द्रों के लिए जमीन आबंटन हेतु आवेदन नगर निगम जोधपुर को कर दिया गया है। भूमि आबंटन पश्चात् एवं भवन निर्माण पूर्ण होने पर स्वयं के भवन में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नवीन संकाय खोलने की योजना

78. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में विभिन्न संकायों में लगभग 6700 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय में कौन-कौनसे पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित आधार पर संचालित हैं तथा उक्त पाठ्यक्रम में प्रत्येक विद्यार्थी पर कितनी राशि का अतिरिक्त भार पड़ रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालय में एम.ए. संस्कृत, एम.एस.सी. वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र व रसायन विज्ञान में 20 प्रतिशत सीटें बढ़ाने की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर दर्शनशास्त्र, संगीत व लोक प्रशासन इत्यादि नये विषय शुरू करने की मांग भी

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में संचालित स्ववित्तपोषित भूगोल विषय को राजकीय खर्च पर संचालित कराने एवं स्नातक स्तर पर दर्शनशास्त्र, संगीत व लोक प्रशासन इत्यादि नये विषय शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ में विभिन्न विषयों में कुल विद्यार्थी 5787 (3409 छात्र व 2378 छात्राएं) अध्ययनरत हैं। इस महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विषय स्वपोषित आधार पर संचालित है तथा उक्त विषय के प्रत्येक विद्यार्थी पर राशि 5150/- रुपये का अतिरिक्त भार पड़ रहा है।

(2) जी हां। निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ में एम.एस.सी., रसायन विज्ञान में 20 प्रतिशत सीटें बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।

महाविद्यालय में संस्कृत, वनस्पति विज्ञान व प्राणीशास्त्र स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित नहीं है।

(3) जी हां। निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ में स्ववित्तपोषित भूगोल विषय को राजकीय खर्च पर तथा स्नातक स्तर पर दर्शनशास्त्र, संगीत, लोक प्रशासन नये विषय शुरू किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

बोर्ड निगमों के अध्यक्षों को दर्जे के अनुसार देय सुविधाएं

79. **श्री हीरालाल** (निवाई): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कौन-कौनसे बोर्ड/निगम संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बोर्ड/निगम में वर्तमान में कौन-कौन जनप्रतिनिधि व अधिकारी-अध्यक्ष व सदस्य के रूप में नियुक्त/मनोनीत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल)

(3) उक्त बोर्ड/निगम के अध्यक्ष व सदस्यों को सरकार द्वारा किस स्तर का दर्जा दिया गया है व उन्हें क्या-क्या सुविधाएं स्वीकृत की गयी हैं तथा विभाग द्वारा उन्हें क्या-क्या सुविधाएं किस-किस तिथि से दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त बोर्ड/निगमों के अध्यक्ष व सदस्यों को सरकार द्वारा स्वीकृत सुविधाएं व स्टाफ उपलब्ध नहीं किये जाने के कारण उक्त बोर्ड/निगमों के गठन का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त बोर्ड/निगम के अनेक अध्यक्षों को उनके पद व दर्जे के अनुरूप कार्यालय, स्टाफ व अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्नांकित बोर्ड/निगम संचालित हैं:-

1. राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
2. शिल्प एवं माटी कला बोर्ड
3. राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
4. राजस्थान वित्त निगम
5. राजस्थान लघु उद्योग निगम
6. राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड

(2) उक्त बोर्ड/निगम में अध्यक्ष व सदस्य के रूप में नियुक्त/मनोनीत अध्यक्ष/सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) बोर्ड/निगम में मनोनीत माननीय अध्यक्ष को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है। बोर्ड/निगम में मनोनीत अध्यक्ष एवं सदस्यों को मंत्रीमण्डल सचिवालय की आज्ञा क्रमांक प. 11 (1) मं.मं./99 दिनांक 30.11.2012 के अनुसार सुविधाएं उनके द्वारा कार्यग्रहण किये जाने की तिथि से प्रदत हैं। आज्ञा की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(4) जी नहीं। भाग संख्या 1 में वर्णित 6 निगम/बोर्ड में से 5 के अध्यक्ष को आवश्यक स्टाफ आदि उपलब्ध हैं। सदस्यों को स्टाफ उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है। हाल ही मनोनीत शिल्प एवं माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा चाहेनुसार स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। तब तक वैकल्पिक व्यवस्था उद्योग आयुक्तालय द्वारा की जा रही है।

(5) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सलूम्बर में नवीन पुलिस चौकियों की स्थापना

80. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नई पुलिस चौकियां/थाने खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

क्षेत्र की आवश्यकता, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता होने पर विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नया पुलिस थाना/चौकियां खोलने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा।

सहरिया क्षेत्रों में लम्बित कृषि विद्युत कनेक्शन देने की योजना

81. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार द्वारा आय-व्ययक अनुमान 2015 में जनजाति उपयोजना व सहरिया क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के कृषकों को व अन्य श्रेणी के लम्बित कृषि आवेदकों को मार्च, 2018 तक कनेक्शन देने की तथा अप्रैल, 2018 से आन डिमांड कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट घोषणा 2016-17 में जन-जाति उपयोजना एवं सहरिया क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के कृषकों को आन

(ऊर्जा मंत्री)

डिमाण्ड कृषि कनेक्शन देने के प्रावधान हैं। इन क्षेत्रों में अन्य श्रेणी के लम्बित कृषि आवेदकों को मार्च, 2018 तक कनेक्शन देने की तथा अप्रैल, 2018 से इन क्षेत्रों में आन डिमाण्ड कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की गई थी।

बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु जनजाति उपयोजना एवं सहरिया क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के कृषकों के अलावा अन्य कृषि श्रेणी के दिनांक 31 जनवरी, 2017 तक प्राप्त आवेदनों के मांग पत्र जारी करने के आदेश जारी कर दिये गए हैं। मांग पत्र जमा होने पर नियमानुसार विद्युत कनेक्शन दिये जावेंगे। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जैसलमेर जिले में बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु संचालित योजनाएं

82. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में गत 3 वर्षों में कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा जैसलमेर जिले में गत 3 वर्षों में बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु कौन-कौनसी संस्थाओं को कितना अनुदान दिया गया है तथा उक्त संस्थाओं द्वारा कितने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों को रोजगार योग्य बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से क्रमशः रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP), नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP) तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) संचालित की जा रही हैं। उक्त कौशल प्रशिक्षण योजनाओं में प्रशिक्षणार्थियों को कौशल प्रशिक्षण हेतु निर्धारित योग्यता एवं मापदण्ड निम्नानुसार है-

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

1. रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP)

इस योजनान्तर्गत आयु सीमा 18 से 35 वर्ष एवं शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास या अधिक (पाठ्यक्रमानुसार) निर्धारित है।

2. नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP)

इस योजनान्तर्गत आयु सीमा 16 से 35 वर्ष, किन्तु महिलाओं के लिए आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में 16 से 45 वर्ष, विशेष योग्यजन युवाओं के लिए 18 से 45 वर्ष व कारागार बंदियों के लिए 18 से 50 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास या अधिक (पाठ्यक्रमानुसार) निर्धारित है।

3. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)

केन्द्र प्रवर्तित इस योजनान्तर्गत 15 से 35 वर्ष के ऐसे युवा पात्र हैं जो:

- चयनित बी.पी.एल. परिवार के सदस्य जिनका नाम बी.पी.एल. सूची 2002 अथवा पूरक बी.पी.एल. सूची 2006, 2008, 2010 और 2012 में सम्मिलित हैं अथवा परिवार सामाजिक आर्थिक गणना 2011 (प्रकाशन उपरान्त) की सूची में सम्मिलित हो अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत चयनित परिवार का सदस्य हो अथवा अन्तयोदय अन्न योजना/ बीपीएल सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत चयनित परिवार का सदस्य हो अथवा आजीविका (एनआरएलएम) के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह के परिवार का सदस्य हो।
- परिवार के किसी सदस्य ने गत वर्ष कम से कम 15 दिन मनरेगा में काम किया हो।
- 'सहभागिता आधारित गरीब की पहचान' (पी.आई.पी.) प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्राम सभा से अनुमोदित हो।

(2) संस्थाओं द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत, जैसलमेर जिले में विगत तीन वर्षों में कुल 891 युवाओं को रोजगारपरक व आजीविका संवर्धन सम्बन्धी कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर लाभान्वित किया गया।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

(3) बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु संस्थाओं को अनुदान देने का प्रावधान निगम की योजनाओं में नहीं है। निगम की योजना में प्रशिक्षण व्यय का प्रावधान है।

निगम द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनान्तर्गत, जैसलमेर जिले में विगत तीन वर्षों में कुल 891 युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार योग्य बनाया जा चुका है।

किशनगढ़बास के विद्यालयों में मिड-डे-मील वितरण में अनियमितता की जांच

83. **श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़बास): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में गत पांच वर्षों से राजकीय विद्यालयों में मिड-डे-मील का वितरण किया जा रहा है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में किन-किन विद्यालयों में कब-कब व कितना-कितना मिड-डे-मील वितरित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों में वितरित मिड-डे-मील की गुणवत्ता व खाद्य सामग्री का समय पर आबंटन नहीं होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में मिड-डे-मील वितरण में गबन/भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त गबन/भ्रष्टाचार में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के किन-किन राजकीय विद्यालयों में रसोईघर व मिड-डे-मील हेतु भवन का निर्माण नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में गत पांच वर्षों से राजकीय विद्यालयों (कक्षा 1 से 8 तक) में मिड-डे-मील वितरित किया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ब्लाक कोटकासिम एवं किशनगढ़बास की विद्यालयवार,

(शिक्षा राज्य मंत्री)

वर्षवार, खाद्यान्न के वितरण की सूचना निम्नानुसार हैं। विद्यालयवार सूची परिशिष्ट-अ' पर संलग्न है :-

क्र. सं.	वर्ष	कुल विद्यालयों की संख्या	आबंटित खाद्यान्न (मात्रा कि.ग्रा.)	
			गेहूं	चावल
1	2012-13	413	454697	211871
2	2013-14	433	399379	161308
3	2014-15	427	494473	206253
4	2015-16	311	468422	220591
5	2016-17	313	224964	109989
		कुल योग	2041935	910012

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ब्लाक कोटकासिम के 77 विद्यालयों में सप्लायर द्वारा समय पर खाद्यान्न सप्लाई नहीं किये जाने की शिकायत पूर्व में सत्र 2014-15 में प्राप्त हुई थी। वितरण सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-ब' पर संलग्न हैं। शिकायत के अनुसार 77 विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी पोषाहार से वंचित रहे। उक्त विद्यालयों में खाद्यान्न सामग्री समय पर वितरित नहीं करने के लिए उत्तरदायी कर्मचारी/ अधिकारियों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर मुख्य व्यवस्थापक, कार्यालय क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. खैरथल द्वारा जारी पत्रांक 376 दिनांक 30.09.2016 के अनुसार कार्यवाही की गई है जिसमें श्री कृष्ण चंद गुर्जर परिवहनकर्ता को परिवहन कार्य के लिए छह साल की अवधि के लिए ब्लैक लिस्टेड (कालातीत सूची) करते हुए परिवहनकर्ता की जमा धरोहर राशि 2.00 लाख रुपये को कार्यालय क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. खैरथल द्वारा जब्त कर लिया गया हैं। इसके अलावा कार्यालय क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. खैरथल द्वारा तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक श्री कैलाश चन्द गुप्ता को राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत श्री गुप्ता को दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। मिड-डे-मील कार्यक्रम को समय पर सम्पादन नहीं करने पर समिति के मिड-डे-मील प्रभारी श्री सतीश कुमार शर्मा को उत्तरदायी मानते हुए समिति कर्मचारियों के सेवा नियम

(शिक्षा राज्य मंत्री)

2013 के नियम 24(1)(क) के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है एवं खाद्य सामग्री का समय पर आबंटन नहीं होने की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सम्बन्धित केवीएसएस/ सप्लायरों को निर्देशित कर दिया गया है। वर्तमान में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र में मिड-डे-मील योजनान्तर्गत कोई गबन/भ्रष्टाचार नहीं हुआ है।

(4) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ब्लाक किशनगढबास के 15 व कोटकासिम के 10 कुल 25 राजकीय विद्यालयों में रसोईघर व मिड-डे-मील हेतु भवन का निर्माण नहीं हुआ है। विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-स' पर संलग्न है। किशनगढ़बास विधान सभा क्षेत्र के रसोईघर विहीन विद्यालयों में वर्ष 2016-17 में महानरेगा से डवटेल कर, रसोईघर निर्माण हेतु राशि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद अलवर को दिनांक 10 फरवरी, 2017 को हस्तान्तरित की जा चुकी है। रसोईघरों का निर्माण शीघ्र ही पूर्ण करवा लिया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ के गांवों को सीकर जिले में मिलाने की कार्यवाही

84. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों को सहसीमान्त क्षेत्राधिकार कर प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार पुनर्गठन/सृजन किये जाने सम्बन्धी प्रकरण उच्च स्तरीय समिति में विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है? हां, तो कब व नहीं, तो क्यों व अब कब तक समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में नये जिले, तहसील/उपतहसील/उपखण्ड कार्यालय का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के विभिन्न

(डा. राजकुमार शर्मा)

गांव/ढाणी यथा लोहार्गल, चिराणा, बागोरिया की ढाणी, देवपुरा बणी को सीकर जिले में शामिल किया जाना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उच्च स्तरीय समिति की समग्र अनुशंसा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

उच्च स्तरीय समिति द्वारा समग्र अनुशंसा राज्य सरकार को प्रस्तुत करना प्रक्रियाधीन है।

(2) उक्त अनुशंसा रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा जनहित एवं प्रशासनिक हित में उचित निर्णय लिया जाएगा।

(3) उक्त अनुशंसा रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा जनहित एवं प्रशासनिक हित में उचित निर्णय लिया जाएगा।

राव बीकाजी की टेकरी (बीकानेर) की मरम्मत का कार्य

85. **श्री गोपाल कृष्ण** (बीकानेर पश्चिम): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) में स्थित संरक्षित राव बीकाजी की टेकरी की मरम्मत व रंग-रोगन का कार्य लगभग 11 वर्षों से नहीं हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पर्यटन स्थल पर स्थापित तीन समाधि स्थलों में से दो समाधि स्थल क्षतिग्रस्त हैं, जिनको अस्थायी रूप से जोड़ा गया है? यदि हां, तो इनकी मरम्मत का कार्य कब तक करवाया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) में स्थित संरक्षित राव बीकाजी की टेकरी में विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में रुपये 21.00 लाख की राशि से स्मारक के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के कार्य करवाये गये हैं।

(2) पर्यटन स्थल पर स्थित समाधि स्थलों में से कोई भी समाधि स्थल क्षतिग्रस्त नहीं है। दो समाधि स्थलों में केवल मात्र लघु स्मृति शिलालेख संरक्षित घोषित होने से पूर्व ही क्षतिग्रस्त थे, जिन्हें पूर्व में ही जोड़कर सुरक्षित किया गया था। इनके मरम्मत कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के आबादी क्षेत्रों में प्लास्टिक कोटेड केबल डालने की योजना

58. **श्री कन्हैयालाल** (मालपुरा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में झूलते तारों से अनेक हादसे होने के कारण काफी जानमाल की हानि हो रही है? क्या सरकार आबादी भूमि एवं ढाणियों के बीच से गुजर रही 11/33 के.वी. की लाइनों की जगह प्लास्टिक कोटेड केबल डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में वर्तमान में ऐसे कितने क्षेत्र हैं, जहां पूर्व से ही प्लास्टिक कोटेड केबल डली हुई हैं और कितने क्षेत्रों में नहीं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि कुछ हादसे झूलते तारों की वजह से हुए हैं। सभी 11 के.वी. एवं 33 के.वी. लाइनों को प्लास्टिक कोटेड केबल से बदलना वित्तीय रूप से साध्य नहीं होने के कारण प्रस्तावित नहीं है। किन्तु राज्य के विद्युत वितरण निगम विद्युत तंत्र से होने वाले जानमाल के नुकसान को रोकने के लिये सतत् प्रयत्नशील हैं। इसी क्रम में दुर्घटना संभावित चिन्हित क्षेत्रों में 11 केवी विद्युत लाइनों को ओवरहेड इन्सुलेटेड रैबिट कन्डक्टर एवं ए.बी. केबल डालकर दुर्घटना रोधक बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त "फीडरइम्प्रूवमेन्ट प्रोग्राम" के तहत ढीले तारों को टाइट करना, टेढ़े-मेढ़े खम्बों को सीधा करना एवं लम्बी लाइन स्पान के बीच अतिरिक्त खम्बा लगाना आदि कार्य किये गये हैं। वर्तमान में ''मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान'' के अन्तर्गत विद्युत तंत्र को सुदृढ करने के लिए विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं।

(2) मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में सिर्फ मालपुरा कस्बे में कुछ स्थानों पर 11 केवी लाइन में ओवरहैड इन्सुलेटेड रैबिट कन्डक्टर डाला हुआ है।

प्रश्न संख्या-59

(स्थगित)

सिकराय में लम्बित घरेलू विद्युत कनेक्शन

60. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2016 तक घरेलू विद्युत कनेक्शन के कितने आवेदन प्राप्त हुए? उक्त में से कितने आवेदकों को कनेक्शन जारी किया जा चुका है व कितने लम्बित हैं? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा घरेलू कनेक्शन की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं व घरेलू कनेक्शन लेने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2014-15 व 2016 में सरकार द्वारा कितने बी.पी.एल. परिवारों को घरेलू कनेक्शन जारी किए गए? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दौसा जिले एवं वृत के विधान सभा क्षेत्र सिकराय में माह जनवरी, 2014 से माह दिसम्बर, 2016 तक 41 ग्राम पंचायतों में 14278 घरेलू कनेक्शन के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 8319 आवेदनों के विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। शेष रहे आवेदनों में से 5006 आवेदकों के आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त किये गये हैं तथा 953 आवेदन लम्बित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) विद्युत वितरण निगमों द्वारा घरेलू कनेक्शनों हेतु निर्धारित मापदण्डों व योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) वर्ष 2014-15 व माह दिसम्बर, 2016 तक सिकराय विधानसभा क्षेत्र में बीपीएल परिवारों को जारी घरेलू विद्युत कनेक्शनों की पंचायतवार संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कृषि भूमि को आवासीय हस्तान्तरण पर पंजीयन की दर

61. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. मंजू बाघमार)

(1) प्रदेश में किस सीमा तक की भूमि का हस्तान्तरण कृषि भूमि की दर से पंजीबद्ध किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या एक व्यक्ति द्वारा कृषि भूमि क्रय कर उस पर आवासीय प्लाटिंग कर आवासीय दर से विक्रय दस्तावेज पंजीबद्ध करवाए जा सकते हैं? यदि हां, तो क्या इस हेतु कोई न्यूनतम समय सीमा निर्धारित है?

(3) क्या पूर्व में कृषि दर से पंजीबद्ध कृषि भूमि क्रय पत्र को ही आवासीय दर से पंजीबद्ध किया जा सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल की कृषि भूमि का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्राप्त होने पर प्रश्नगत भूमि का कृषि भूमि की दर से मूल्यांकन किया जाकर दस्तावेज पंजीयन किया जाता है।

(2) जी हां। एक व्यक्ति द्वारा कृषि भूमि क्रय कर उस पर आवासीय प्लाटिंग कर आवासीय दर से विक्रय दस्तावेज पंजीबद्ध करवाए जा सकते हैं। किसी दस्तावेज का पंजीयन उसके निष्पादन की दिनांक से 8 माह की अवधि के भीतर कराया जा सकता है।

(3) जी नहीं।

राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के परिलाभ देने की कार्यवाही

62. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का परिलाभ दे दिया गया है? यदि हां, तो उक्त परिलाभ कब से दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कर्मचारी हित में राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के अनुरूप सातवें वेतन आयोग के परिलाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें

(वित्त मंत्री)

वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 25.07.2016 को जारी कर दिनांक 01.01.2016 से परिलाभ दिया गया है।

(2) राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र के अनुरूप सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा सं. प. 6(5) प्रसु/अनु-3/2017 दिनांक 23.02.2017 के द्वारा समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार द्वारा इसका परीक्षण कर समुचित निर्णय लिया जाएगा।

टोंक जिले के थानों में अपराधों के दर्ज प्रकरण

63. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

टोंक जिले के थानों में 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक लूटपाट, चोरी, डकैती, राहजनी, पशु चोरी, मारपीट, बलात्कार एवं अन्य अपराधों के कितने-कितने मुकदमे दर्ज हुए? उक्त में से कितने प्रकरणों में न्यायालयों में चालान पेश किये गये व कितनों में चालान पेश किया जाना शेष है? विधान सभावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

टोंक जिले के थानों में दर्ज आपराधिक प्रकरण निम्नानुसार हैं:-

लूट	चोरी	डकैती	राहजनी	पशुचोरी	मारपीट	बलात्कार	अन्य प्रकृति
21	1177	0	11	26	3730	124	7863

उक्त प्रकरणों में से 7616 चालान पेश किये जा चुके हैं तथा 113 चालान पेश करने शेष हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में किसानों के आत्महत्या के दर्ज प्रकरण

64. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत 03 वर्षों में प्रदेश में कितने किसानों ने किन-किन कारणों से कब-कब आत्महत्याएं कीं व वर्ष 2008 से वर्ष 2013 की अवधि में कितने किसानों ने किन-किन कारणों से आत्महत्याएं कीं? वर्षवार जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जोगाराम पटेल)

(2) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 के मुकाबले वर्ष 2015 में अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं? यदि हां, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान प्रदेश में किन-किन कारणों से कितने किसानों ने आत्महत्याएं की हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 03 वर्षो तथा वर्ष 2008 से वर्ष 2013 तक की अवधि में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं का ब्यौरा परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2014 में 4949 और वर्ष 2015 में 7114 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई, जिनमें से राजस्थान में वर्ष 2014 व 2015 में क्रमश: 0 और 03 आत्महत्याएं उल्लेखित हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं के कारण अंकित नहीं है। राजस्थान में वर्ष 2015 में दर्शाई गई 03 किसानों में से 02 किसानों ने आर्थिक तंगी तथा 01 किसान ने घरेलू परिस्थितियों के कारण आत्महत्या की है।

परिशिष्ट-अ

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं का विवरण :-

वर्ष	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
राजस्थान में	796	851	390	268	270	292	0	03
देश में	16196	17368	15964	14027	13754	11772	4949	7114

गोगुन्दा में नये पुलिस थानों की स्थापना

65. श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नये पुलिस थाने खोलने के क्या नियम निर्धारित हैं?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में नये पुलिस थाने खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां, कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामान्यतया क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, क्षेत्र में अपराध व कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस की नफरी की उपलब्धता के आधार पर नये पुलिस थाने खोलने के प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाता है।

नये पुलिस थाने खोलने के सम्बन्ध में नियम नहीं बनाये गये हैं।

(2) क्षेत्र की आवश्यकता, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता होने पर विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में नया पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा।

प्रदेश के विद्यालयों में बालिकाओं के साथ घटित यौन अपराध की घटनाएं

66. **श्री बृजेन्द्र सिंह ओला** (झुंझुनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के विद्यालयों में अध्यापकों के द्वारा बालिकाओं के साथ अश्लील हरकतें/यौन हिंसा आदि के प्रकरण प्रकाश में आये हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसे कितने मामले दर्ज किये गये? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में कितने अध्यापकों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत प्रकरण दर्ज किये गये? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दर्ज प्रकरणों में से कितने अध्यापकों को सजा दी गई, तथा कितनों के विरुद्ध क्या-क्या विभागीय कार्यवाही की गई? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन अध्यापकों के विरुद्ध अभी तक भी कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई उसके क्या-क्या कारण रहे? कार्यवाही नहीं करने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? क्या सरकार उनके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विगत कुछ वर्षों से विद्यालयों में अध्यापकों के द्वारा बालिकाओं के साथ अश्लील हरकतें/यौन हिंसा आदि के

(गृह मंत्री)

मामले प्रकाश में आये हैं। विगत तीन वर्षों में राज्य में ऐसे कुल 56 मामले दर्ज किये गये हैं। दर्ज किये गये मामलों का जिलेवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) उक्त दर्ज मामलों में 55 अध्यापकों के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मामले दर्ज किये गये। आरोपित अध्यापकों की संख्या व दर्ज किये गये मामलों का जिलेवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) उक्त में से 41 अध्यापकों के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया गया जिनमें से 05 प्रकरणों में आरोपित अध्यापक को न्यायालय द्वारा बरी किया गया है। शेष 36 प्रकरण पैण्डिंग न्यायालय हैं। किसी अध्यापक को न्यायालय द्वारा सजा नहीं दी गई है। चालानशुदा अध्यापकों की संख्या व प्रकरणों की वर्तमान स्थिति का जिलेवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(4) शिक्षा विभाग अन्तर्गत बालिकाओं के साथ अश्लील हरकत/यौन हिंसा के लिये सभी उत्तरदायी अध्यापकों के विरूद् नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। कृत कार्यवाही परिशिष्ट-ब व स पर संलग्न है। निजी विद्यालयों में कार्यरत ऐसे दोषी अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही सम्बन्धित निजी संस्था की प्रबन्ध कार्यकारणी समिति द्वारा की जाती हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले के पुलिस थानों में रिक्त पद

67. **श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़बास): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर जिले में वर्तमान में कितने पुलिस थाने हैं? उक्त प्रत्येक थाने में कितने पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पद रिक्त हैं? थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अलवर जिले के सीमावर्ती थानों में अपराधों की रोकथाम के लिये अधिक पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पुलिस थानों में कार्यरत स्टाफ के लिये पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं हैं? यदि हां, तो कर्मचारियों की आवश्यकता

(श्री रामहेत सिंह यादव)

के अनुसार आवास कब तक तैयार करा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में 38 पुलिस थाने हैं। अलवर जिले के पुलिस थानों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) अलवर जिले के सीमावर्ती थानों सहित कुल 30 पुलिस थानों की नफरी बढ़ोतरी हेतु पद सृजन के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। गुणावगुण, पुलिस नफरी एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर इन प्रस्तावों पर विचार किया जा सकेगा।

(3) जी हां। यह सही है कि अलवर जिले में पुलिस थानों में कार्यरत स्टाफ के लिये पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है। विभाग में आवासीय भवनों की कमी को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2016-17 की क्रियान्विति के क्रम में, जिला अलवर में 4 अपर एवं 36 लोअर सब-आर्डिनेट आवासों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में ग्राम सेवकों के रिक्त पद

68. **श्रीमती अनीता** (नगर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में ग्राम सेवक कृषि के कितने पद स्वीकृत हैं? पंचायत समिति एवं पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पंचायती राज विभाग में ग्राम सेवक कृषि का कोई पद सृजित नहीं है।

प्रदेश में जिला पंचायत संदर्भ केन्द्रों की स्थापना

69. **श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार को पंचायत सशक्तिकरण अभियान के लिये केन्द्र सरकार से अब तक कितनी राशि प्राप्त हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप शर्मा)

(2) उक्त अभियान के तहत कौन-कौनसे कार्य कराये जाने हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अभियान के तहत प्रदेश में कई जिलों में जिला पंचायत सन्दर्भ केन्द्र स्थापित करने व पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र को अपडेट करने की भी कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो कौन-कौनसे जिलों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब तक कितने जिलों में जिला पंचायत संन्दर्भ केन्द्र का निर्माण आरम्भ करवा दिया गया है तथा कितने पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों को हाईटेक कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार को पंचायत सशक्तिकरण अभियान अन्तर्गत भारत सरकार से अब तक राशि रु. 67.37 करोड़ प्राप्त हुई है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	**वर्ष**	**भारत सरकार से प्राप्त राशि (करोड़ रु.)**
1.	2012-13	13.61
2.	2013-14	15.45
3.	2014-15	11.56
4.	2015-16	4.48
5.	2016-17	22.27
योग		**67.37**

(2) उक्त अभियान के तहत ग्राम पंचायत भवन निर्माण, ग्राम पंचायत भवन मरम्मत, पंचायत समितियों में राजस्थान सम्पर्क आई.टी केन्द्र की स्थापना, ग्राम पंचायतों में दूरभाष की स्थापना, जिला पंचायत संदर्भ केन्द्रों का निर्माण, राज्य निर्वाचन आयोग का सशक्तिकरण, जनप्रतिनिधियों व पंचायती राज कार्मिकों की क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन, पीसा क्षेत्र में मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण हेतु सहयोग, ई गवर्नेन्स हेतु सहयोग, विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण हेतु मार्गदर्शिका का प्रकाशन इत्यादि कार्य करवाये जा रहे हैं।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी हां। उक्त अभियान के तहत जिला पंचायत संदर्भ केन्द्र के निर्माण हेतु जिला अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं झालावाड़ को प्रति जिला 25.00 लाख तथा पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र के अपडेट हेतु जिला कोटा व भरतपुर को प्रति जिला 50.00 लाख की राशि आबंटित की जा चुकी है।

(4) अब तक 2 जिलों यथा- अजमेर एवं श्रीगंगानगर में जिला पंचायत संदर्भ केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा शेष 11 जिलों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सभी कार्यवाही आगामी 1 माह में प्रारम्भ कर दी जायेगी।

नरेगा के संविदाकर्मियों का स्थायीकरण करने की योजना

70. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2008 से रोस्टर प्रणाली से जिला परिषदों द्वारा एम.जी. नरेगा योजना में संविदा कर्मियों को नियुक्त किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संविदा कर्मियों को स्थायी करने के आदेश जारी किये गये थे? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में एम.जी. नरेगा के संविदा कर्मियों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2008 से संविदा आधार पर कार्मिकों का नियोजन किया गया है।

(2) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संविदा कर्मियों को स्थाई करने के आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

(3) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के संविदा कार्मिकों को स्थायी करने का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

किशनगंज-शाहबाद में सांसद निधि से स्वीकृत कार्य

71. **श्री ललित कुमार** (किशनगंज): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में गत 2 वर्षों में सांसद निधि से स्वीकृत कितने कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं? अपूर्ण कार्यों का विवरण मय कारणों सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में स्वीकृत कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं, के समायोजन का कार्य शेष चल रहा है? यदि हां, तो किस-किसके एवं किस-किस एजेन्सी से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत 2 वर्षों में सांसद निधि के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत करने के उपरान्त भी प्रारम्भ/पूर्ण नहीं किये जाने पर सम्बन्धित एजेन्सी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या प्रस्तावित है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में पिछले 2 वर्षों (वर्ष 2014 -15 एवं 2015-16) में सांसद निधि से स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं। स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में स्वीकृत पूर्ण कार्यों में से 8 कार्यों का समायोजन कर लिया गया है। एक कार्य का पंचायत समिति किशनगंज का समायोजन शेष है। चार कार्यों का समायोजन प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज जिला बारां में पिछले 2 वर्षों में माननीय सांसद द्वारा अनुशंषित सभी कार्य पूर्ण करवा दिये गये हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बड़ी ग्राम पंचायतों में सीवरेज लाइन डालने की योजना

72. **श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर बडी ग्राम पंचायतों

(श्री हमीरसिंह भायल)

में सीवरेज लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नरेगा योजना के तहत उक्त कार्य को वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सिवाना की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सिवाना, समदड़ी, सिणधरी, मोंकलसर, पादरू, खण्डप व राखी आदि पंचायतों में सीवरेज लाइन डालने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायतों को विकास कार्यो एवं अन्य कार्यों के संपादन हेतु 14वें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग पंचम मद में अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस राशि से कराये जाने वाले कार्यों का चयन स्थनीय स्तर पर सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ही किया जाता है। अनुदान राशि से सीवरेज लाइन डालने के कार्य भी अनुमत हैं। अतः पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सीवरेज लाइन डालने का कार्य आवश्यक पाये जाने पर कराया जा सकता है।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजना में सीवर लाइन डालने का कार्य अनुमत नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सिवाना की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सिवाना, समदड़ी, सिणधरी, मोंकलसर, पादरू, खण्डप, राखी आदि पंचायतों में सीवरेज लाइन डालने हेतु कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

निःशुल्क दवा योजनान्तर्गत क्रय की गई दवाइयों में गुणवत्ता की जांच

73. **श्री रमेश** (सपोटरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत गुणवत्ता हेतु मंत्री स्तर पर गठित समिति द्वारा मानदण्ड निर्धारित किये गये थे? यदि हां, तो कब व क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रमेश)

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन द्वारा 40 करोड़ से अधिक की कफ सीरप एवं अन्य दवाओं की खरीद में गुणवत्ता के अतिमहत्वपूर्ण मानदण्डों की पालना नहीं की गई है? यदि हां, तो किन मानदण्डों की व क्यों?

(3) उक्त दवाओं की खरीद हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या निर्धारित मानदण्डों में संशोधन किया गया है? यदि हां, तो कब? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक दिनांक 23.11.2014 के निर्णयानुसार निविदा दस्तावेजों के पुनर्निरीक्षण (रिव्यू) के लिए समिति (बिड डोक्यूमेंट्स रिवीजन कमेटी) का राज्य सरकार आदेश क्रमांक प.3(3) चिकि.5/2014 जयपुर दिनांक 04.12.2014 द्वारा गठित किया गया, जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

समिति की अनुशंषा परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। जिसके अनुसार निविदा शर्तों में संशोधन किया गया एवं डब्ल्यू.एच.ओ.-जी.एम.पी. सर्टिफिकेट लागू करने हेतु कार्यालय आदेश एफ.02(143)/आरएमएससी/प्रोक्रूमेंट/ड्रग/2015/880 दिनांक 02.06.2015 जारी किया गया, जिसकी प्रति परिशिष्ट -स पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। आर.एम.एस.सी. द्वारा कफ सीरप एवं अन्य दवाओं की खरीद में निर्धारित मानदण्डों की पालना की जा रही है। डब्ल्यू.एच.ओ.-जी.एम.पी. एवं अन्य निविदा शर्तों में प्रकरणवार विचार-विमर्श कर विशेष परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुये डब्ल्यू.एच.ओ.-जी.एम.पी. एवं अन्य शर्तों में शिथिलता प्रदान की जाती है।

(3) उक्त दवाओं की खरीद के लिये आरटीपीपी एक्ट 2012 एण्ड आरटीपीपी रूल्स 2013 के अनुसार खुली निविदा एफ.02 (217)/

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

आरएमएससी/प्रोक्रूमेंट/ड्रग/एनआईबी-20/2016/1543 दिनांक 15.12.2016 जारी की गई है।

(4) आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं आरटीपीपी रूल्स 2013 के अन्तर्गत निविदा जारी करने के पश्चात प्री-बिड कान्फ्रेन्स आयोजित की जाती है। उपरोक्त निविदा में प्री-बिड में प्राप्त सुझाव/अभ्यावेदनों का क्रय समिति की बैठक दिनांक 03.01.2017 में लिये गये निर्णय के क्रम में निविदा में प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने के लिए संशोधन किया गया, जिसकी प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(5) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में हृदय रोगियों की जांच

74. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना हेतु सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की बजट घोषणा में कितने-कितने रुपये की राशि देने की घोषणा की तथा घोषणा में से कितनी राशि जारी की गई और उक्त राशि में से कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार हृदय रोगियों की जांच के लिए की जाने वाली एन्ज्योग्राफी तथा एंजियोप्लास्टी में काम आने वाली समस्त दवाइयां व उपकरण उक्त योजना के तहत उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत जिला औषधि भण्डार से सम्बन्धित जिले के प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की मांग के अनुसार दवाइयां पहुंचाने की क्या व्यवस्था है तथा जिला औषधि भण्डार से स्वास्थ्य संस्थानों तक दवा पहुंचाने का दायित्व किसका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की बजट घोषणाओं में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के सम्बन्ध में कोई बजट घोषणा नहीं की गई है। किन्तु वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक नि:शुल्क दवा

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

योजनान्तर्गत स्वीकृत बजट प्रावधान एवं कुल व्यय राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) हृदय रोगियों की जांच के लिए एन्ज्योग्राफी तथा एंजयोप्लास्टी में अधिकतर काम आने वाली दवाई आयोहक्सोल यूएसपी (नान आयोनिक कान्ट्रेस्ट मिडियम इन स्ट्रायल एक्वएस सोल्यूसन 350 एमजी आयोडीन) जिला चिकित्सालय स्तर तक उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित है। हृदय रोगियों की जांच के लिए की जाने वाली एन्ज्योग्राफी तथा एन्ज्योप्लास्टी में काम आने वाले उपकरण को नि:शुल्क उपलब्ध करवाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जिला औषधि भण्डार (डी.डी.डब्ल्यू.) से जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों तक औषधियों के परिवहन का कार्य सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा जिला स्तर से स्वास्थ्य संस्थानों तक दवा पहुंचाने का दायित्व सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जिला उद्योग केन्द्र फलौदी का भवन निर्माण

75. **श्री पब्बाराम** (फलौदी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड क्षेत्र फलौदी में जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की गई है? यदि हां, तो कब से? उक्त कार्यालय का क्षेत्राधिकार क्या है?

(2) वर्तमान में उक्त कार्यालय को क्या-क्या संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं?

(3) क्या उक्त कार्यालय का संचालन वर्तमान में किराये के भवन में किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त भवन का किराया कितना एवं कब से अदा किया जा रहा है?

(4) क्या उक्त कार्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि का आबंटन किया जा चुका है? यदि हां, तो उक्त भूमि पर भवन निर्माण कब तक कर लिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि उपखण्ड क्षेत्र फलौदी में जिला उद्योग उपकेन्द्र को क्रमोन्नत कर जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.15(8)उद्योग/ग्रुप-2/2013 दिनांक 04.06.2013 से जारी कर उक्त कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में फलौदी, बाप, शेरगढ़ तथा लोहावट तहसीलों के क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

(2) जिला उद्योग केन्द्र फलौदी के संचालन हेतु सहायक निदेशक-एक, आशुलिपिक-एक, लिपिक (ग्रेड-I)-एक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-एक पदस्थापित हैं तथा कार्यालय में कम्प्यूटर, टेलीफोन, फर्नीचर संस्थापित हैं एवं किराये का वाहन उपयोग में लिये जाने की स्वीकृति प्रदत्त की हुई है।

(3) जी हां। वर्तमान में उक्त कार्यालय किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है। जिला उद्योग उपकेन्द्र के समय से दिनांक 06.03.2014 तक राशि रु. 3524/- प्रतिमाह तथा दिनांक 07.03.2014 से 31.05.2015 तक रु. 8177/- तथा दिनांक 01.06.2015 से 10,193/- रु. प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है।

(4) जी हां। भूमि का आबंटन करा लिया गया है। बजट उपलब्धता के आधार पर वर्ष 2017-18 में भवन का निर्माण प्रस्तावित है।

कोटा संभाग में रीको द्वारा आबंटित भूमि

76. **श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा संभाग में गत तीन वर्षों में रीको द्वारा किन-किन स्कीमों में किन-किन फर्मों को किस-किस प्रयोजनार्थ कितनी-कितनी भूमि का आबंटन किस-किस दर पर किया गया? जिलेवार एवं तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में उक्त आबंटित भूखण्डों का उपयोग आबंटन के समय निर्धारित प्रयोजनार्थ ही किया जा रहा है? यदि नहीं, तो उक्त आबंटित भूखण्डों का उपयोग किस-किस प्रयोजनार्थ किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भूखण्डों के उपयोग में परिवर्तन की स्वीकृति किस नियमानुसार किस-किस अधिकारी द्वारा प्रदान की गई तथा ऐसे कितने भू-खण्ड हैं, जिन्हें निरस्त होने के बाद पुनर्जीवित किया गया? पुनर्जीवित किये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाहियों एवं शास्ति दरों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा संभाग में रीको द्वारा जिला कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रो में आबंटित भूखण्डों का प्रश्नगत विवरण परिशिष्ट अ-1, (औद्योगिक भूखण्ड) परिशिष्ट अ-2, (आवासीय भूखण्ड) परिशिष्ट अ-3, (व्यावसायिक भूखण्ड) एवं परिशिष्ट अ-4, (सांस्थानिक भूखण्ड) पर संलग्न है।

(2) उक्त आबंटित भूखण्डों का वर्तमान में जिस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है, उनका विवरण भी परिशिष्ट अ-1, अ-2, अ-3 एवं अ-4 के कॉलम नम्बर 7 में उल्लेखित है।

(3) भूखण्डों के भू उपयोग परिवर्तन स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

निरस्त होने के बाद जिन भूखण्डों को पुनर्जीवित किया गया है, उनका प्रश्नगत विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है तथा पुनर्जीवित किये जाने की कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय विधि महाविद्यालय, भरतपुर के मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति

77. **श्री अमृतलाल** (सलूम्बर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय विधि महाविद्यालय, भरतपुर में मंत्रालयिक संवर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त महाविद्यालय में पदस्थापित मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारी अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे विभागों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों का पदस्थापन पुनः इस महाविद्यालय में करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त महाविद्यालय के मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण इस महाविद्यालय में इस संवर्ग का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय विधि महाविद्यालय, भरतपुर में मंत्रालयिक संवर्ग में 03 पद स्वीकृत हैं उनमें से 01 पद रिक्त है, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड प्रथम को महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर में कार्य व्यवस्था हेतु प्रतिनियुक्ति पर लगाया हुआ है।

(3) जी हां। महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर में कार्यसंचालन की अन्य व्यवस्था होने पर श्री शर्मा को पुनः राजकीय विधि महाविद्यालय, भरतपुर में लगाया जाएगा।

(4) राजकीय विधि महाविद्यालय, भरतपुर में अन्य महाविद्यालय से एक लिपिक ग्रेड द्वितीय को कार्यव्यवस्थार्थ लगाया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड

78. **श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जहां पर निजी महाविद्यालय संचालित हैं, उस स्थान पर राजकीय महाविद्यालय नहीं खोलने का प्रावधान है? यदि हां, तो कब से व आदेश किस स्तर से जारी किये गये? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के निर्धारित मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-1 पर एवं निजी क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जाने की नीति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनान्तर्गत प्रशिक्षण

79. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गत दो वर्षों में पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अन्तर्गत किस-किस एजेंसी द्वारा कौन-कौनसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं उनमें कितने प्रशिक्षणार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त प्रशिक्षण के बाद कितने लोगों को रोजगार मिला? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गत दो वर्षों में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत कोई भी प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खोला गया परन्तु जयपुर जिले में आठ प्रशिक्षण केन्द्रों में जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कुल 62 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसके तहत वर्ष 2014-15 में 21, 2015-16 में 34 तथा 2016-17 में 07 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(2) उक्त प्रशिक्षण से कुल 35 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार दिया गया। जिसमें से वर्ष 2014-15 में 14, 2015-16 में 09 तथा 2016-17 में 12 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार दिया गया।

सवाई माधोपुर में श्रमिकों को जारी श्रमिक कार्ड

80. राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में किस-किस योजना के तहत कुल कितने श्रमिकों को श्रमिक कार्ड दिये गये हैं तथा कितने श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा पात्र निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारी के रूप में पंजीयन किया जाता है। मण्डल में

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

योजनावार श्रमिक कार्ड दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में 31 जनवरी, 2017 तक कुल 8106 निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारी के रूप में पंजीयन हुआ है। वर्तमान में आनलाइन पंजीयन व्यवस्था लागू है, जिसमें पंजीयन आवेदन स्वीकृत होने तथा पंजीयन शुल्क जमा होने के पश्चात् स्वतः श्रमिक कार्ड आनलाइन जारी होने की व्यवस्था है। दिनांक 31.1.2017 तक जिले के सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र में 1410 हिताधिकारियों को मण्डल की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा चुका है।

पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह पर सहायता राशि का वितरण

81. श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा' (भरतपुर): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के 18 वर्ष पूर्ण करने पर विवाह के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में उक्त योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु गत तीन वर्षों में कितने आवेदकों को सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है? शेष को किन कारणों से राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई? लाभान्वित एवं शेष आवेदकों के नाम एवं पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा दिनांक 1.1.2016 से लागू की गई ''शुभशक्ति योजना'' के अन्तर्गत 18 वर्ष पूर्ण करने वाली अविवाहित महिला हिताधिकारियों तथा हिताधिकारियों की अविवाहित बेटियों, जिन्होंने न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो, को उद्यमिता सशक्त व उद्यमी बनाने हेतु रुपये 55000/- प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस राशि का प्रयोग वह अपने विवेकानुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय या सूक्ष्म उद्योग प्रारम्भ करने, कौशल विकास करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु कर सकती है।

इससे पूर्व मण्डल द्वारा "हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना" लागू थी, जिसे 31.12.2015 को समाप्त कर शुभशक्ति योजना लागू की गई। "हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना" के अन्तर्गत 51000/- रुपये सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया था।

(2) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में गत तीन वर्षों में विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत 559 श्रमिकों को सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। योजना के लाभान्वित श्रमिकों तथा जिन्हें हितलाभ राशि उपलब्ध कराई परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। शेष आवेदकों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है जिनके आवेदन योजना के प्रावधानों व समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत जांच प्रक्रियाधीन होने, अधिकारियों की कमी के चलते अतिरिक्त कार्यभार होने के कारणों से राशि अभी तक उपलब्ध नहीं करवायी जा सकी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमाधोपुर के विद्यालयों में सभी संकाय खोलने की योजना

82. **श्री झाबर सिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में संचालित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गत तीन वर्ष पूर्व शिक्षकों के कितने-कितने, किन-किन विषयों के पद स्वीकृत एवं रिक्त पद थे और अब उन रिक्त पदों में से कितने-कितने पदों पर पदस्थापन किया जा चुका है एवं कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? विद्यालयवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों को गत तीन वर्षों में कितना-कितना बजट किस-किस कार्य हेतु स्वीकृत किया गया व स्वीकृत बजट से क्या-क्या कार्य पूर्ण कराए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कौन-कौनसे संकाय स्वीकृत हैं और किस संकाय की सुविधा नहीं है? क्या सरकार सभी संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में संचालित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गत तीन वर्ष पूर्व तथा वर्तमान में शिक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति एवं आलौच्य अवधि में पदस्थापित शिक्षकों का विद्यालयवार संख्या विवरण परिशिष्ट-क तथा परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(2) उक्त विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत कार्य तथा बजट राशि, स्वीकृत कार्यो एवं उनकी प्रगति सहित विद्यालयवार विवरण **परिशिष्ट-ग** पर संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों का निर्माण कार्यो हेतु बजट राशि का विवरण इस प्रकार है-

क्र.सं.	**विद्यालय का नाम**	**राशि (लाखों में)**
1.	राउमावि, सिहोड़ी	70.06
2.	राउमावि, महरोली	52.61

उक्त विद्यालयों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

(3) विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित संकायों का विवरण एवं अनुपलब्ध संकायों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-घ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विराटनगर के विद्यालयों में पेयजल व विद्युत की व्यवस्था

83. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में स्थित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के अधिकांश विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो कौन-कौनसे विद्यालयों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विराटनगर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में जल एवं विद्युत व्यवस्था उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(3) क्या उक्त विद्यालयों में सरकार पेयजल एवं विद्युत की व्यवस्था कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय लाडा का बास, पावटा में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। विद्युत कनेक्शन हेतु डिमाण्ड राशि जमा करवा दी गई है।

(3) प्रश्नोत्तर के भाग संख्या 1 व 2 के अनुसार।

भादरा के विद्यालयों में नवीन संकाय खोलने की योजना

84. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भादरा विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौनसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जहां विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय एवं कृषि संकाय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार छात्रों एवं जनता की मांग को देखते हुए उक्त क्षेत्र के विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि संकाय और खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कहां-कहां पर व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा के जिन विद्यालयों में विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय एवं कृषि संकाय संचालित हैं, उन विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्ष 2016-17 के बजट प्रावधान में जिन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 10 में 100 से अधिक छात्र संख्या वाले 152 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त संकाय खोले जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त विषय संकाय खोलने के प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के पर्यटन स्थलों का विकास

85. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर, ब्यावर, उदयपुर, बूंदी, अलवर, टोंक, बांसवाड़ा-डूंगरपुर व जयपुर जिलों में पर्वतीय-नदी-पठारी-रेगिस्तानी पर्यटन स्थल हैं, जो पर्यटकों की पहुंच से बाहर होने के कारण प्रसिद्ध नहीं हैं? यदि हां, तो जिलेवार ऐसे स्थलों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त स्थलों के विकास की योजना बनाकर प्रदेश में पर्यटन एवं रोजगार के अवसर पैदा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। अजमेर, ब्यावर, उदयपुर, टोंक, बांसवाड़ा-डूंगरपुर, जयपुर जिलों में पर्वतीय-नदी-पठारी-रेगिस्तानी, पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जो चर्चित होने के साथ-साथ पर्यटकों की पहुंच में हैं।

(2) राज्य सरकार उक्त पर्यटक स्थलों के डवलपमैन्ट का कार्य पर्यटकों की आवश्यकता तथा उपलब्ध बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निरन्तर करा रही है।

सीकर जिले के पर्यटन स्थलों के विकास की योजना

86. श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पर्यटन स्थल कौन-कौनसे हैं तथा उनको विकसित करने के लिए सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सीकर जिले में कौन-कौनसे क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र घोषित हैं तथा उनके लिए सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में किस पर्यटन क्षेत्र पर कितनी राशि किस मद पर व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सीकर शहर में हर्ष पर्वत एवं जिले में अन्य किसी स्थान को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

पर्यटक स्थलों के विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की आवश्यकता और उपलब्ध बजट संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य योजना एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत पर्यटन विकास कार्य करवाये जाते हैं।

(2) विभाग में किसी क्षेत्र विशेष को पर्यटक क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान नहीं है। पर्यटकों की आवाजाही से स्थल विशेष स्वतः ही पर्यटक स्थल बन जाता है। सीकर जिले के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की सूची परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

सीकर जिले में राज्य योजना अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में रामगढ़ शेखावाटी, सीकर की हवेलियों का संरक्षण एवं आधारभूत सुविधाओं का योजनाबद्व विकास के अन्तर्गत राशि रु. 324.00 लाख से रामगढ़ शेखावाटी के हैरिटेज क्लस्टर (संकुल) के विभिन्न मार्गों में सीमेन्ट कंक्रीट सड़क निर्माण, हैरिटेज पोल लगाने एवं उन पर लाइट लगाने, अन्नतरामजी का जोहड़ एवं रामचन्द्रजी का जोहड़ का संरक्षण जीर्णोद्धार एवं कोबल स्टोन फ्लोरिंग का कार्य, सिटिंग बेन्चेज, कचरा पात्र एवं पर्यटकों हेतु साइनेजेज लगाने का कार्य, शीतला माता मंदिर पर कोबल स्टोन फ्लोरिंग का कार्य एवं पर्यटकों के लिए जन सुविधाओं का निर्माण कार्य पर्यटन विभाग द्वारा आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से कराये गये हैं।

(3) विभाग में किसी स्थल विशेष को पर्यटक स्थल/पर्यटक क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

नाथद्वारा के उप-खण्ड न्यायालय में लम्बित वाद

87. **श्री कल्याणसिंह चौहान** (नाथद्वारा): क्सा राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के उप-खण्ड न्यायालय में कुल कितने राजस्व वाद कितने-कितने समय से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में रेलमगरा एवं नाथद्वारा दो उपखण्ड सम्मिलित हैं, जिसमें कुल 1314 राजस्व वाद लम्बित हैं। लम्बित राजस्व वादों का विवरण इस प्रकार है -

उपखण्ड	अवधि	लम्बित वादों की संख्या
नाथद्वारा	1 वर्ष तक के	195
	1 से 2 वर्ष तक के	161
	2 से 3 वर्ष तक के	148
	3 से 5 वर्ष तक के	278
	5 से 10 वर्ष तक के	266
	10 वर्ष से अधिक	29
	योग	**1077**
रेलमगरा	1 वर्ष तक के	9
	1 से 2 वर्ष तक के	51
	2 से 3 वर्ष तक के	29
	3 से 5 वर्ष तक के	75
	5 से 10 वर्ष तक के	73
	10 वर्ष से अधिक	0
	योग	**237**

सांगोद में राजस्व कैम्पों में दर्ज शिकायतों का निस्तारण

88. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2016 तक कब-कब राजस्व कैम्प लगाये गये, उनमें कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, कितनी शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया, कितनी शिकायतों का कार्यालय में निस्तारण किया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल नागर)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है? अतिक्रमण छुडाने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? ग्राम पंचायतवार अतिक्रमियों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी चरागाह भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है? ग्राम पंचायतवार अतिक्रमियों की सूची सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में दिसम्बर 2013 से 2016 तक आयोजित कैम्पों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। उक्त कैम्पों में 1179 परिवाद (शिकायतें) प्राप्त हुई थी। जिनमें से केम्प शिविर में 1144 तथा कार्यालय में 35 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिनकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में 744.82 है. राजस्व विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। बेदखली हेतु भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 व राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 122 के अन्तर्गत समय-समय पर कार्यवाही की गई। अतिक्रमियों की ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में 435.55 है. भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है। ग्राम पंचायतवार अतिक्रमियों की सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)